

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

**ऑटोमोटिव क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद
शुल्क प्रशासन**

**संघ सरकार - राजस्व विभाग
अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क
2014 की प्रतिवेदन संख्या 33**

_____ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|--------------|
| प्राक्कथन | (i) |
| कार्यकारी सार | (iii) |
| अध्याय 1: प्रस्तावना | 1-4 |
| 1.1 भारत में ऑटोमोटिव उद्योग | 1 |
| 1.2 भारत में ऑटो कंपोनेंट उद्योग | 1 |
| 1.3 हमने यह विषय क्यों चुना | 2 |
| 1.4 टैरिफ संरचना | 2 |
| 1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य | 3 |
| 1.6 कार्यक्षेत्र एवं कवरेज | 4 |
| 1.7 आभार | 4 |
| अध्याय 2: मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता | 5-26 |
| 2.1 राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति | 5 |
| 2.2 विवरणियों एवं निर्धारणों की संवीक्षा | 6 |
| 2.3 आंतरिक लेखापरीक्षा | 16 |
| 2.4 अपवंचन रोधी उपाय | 20 |
| 2.5 आसूचना रिपोर्टों की सामूहिक शेयरिंग | 21 |
| 2.6 बकाया माँगें | 21 |
| 2.7 नियमों में प्रावधान का अभाव | 22 |
| 2.8 पूर्व-लेखापरीक्षा से बचने के लिए छूट दावों का विभाजन | 25 |
| अध्याय 3: उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन | 27-38 |
| 3.1 अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों के लिए माल की निकासी के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क देयता | 27 |
| 3.2 कीमत समझौते पर शुल्क का भुगतान न करना | 34 |
| 3.3 अतिरिक्त प्रतिफल को शामिल न करना | 35 |
| 3.4 सहयोगी कम्पनियों को बेचा हुआ माल | 36 |
| 3.5 डेमो कारों का कम मूल्यांकन | 38 |

| विषय | | पृष्ठ |
|------------------------------------|---|--------------|
| अध्याय 4: सेनवेट क्रेडिट | | 39-50 |
| 4.1 | सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति | 39 |
| 4.2 | सेनवेट क्रेडिट को वापस न लौटाना | 40 |
| 4.3 | अयोग्य पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का प्राप्त करना | 40 |
| 4.4 | पुरानी मशीनरी को बेचने पर सेनवेट क्रेडिट का कम भुगतान | 41 |
| 4.5 | अस्वीकार्य इनपुट सेवा पर सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना | 43 |
| 4.6 | इनपुट सेवा क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना | 45 |
| 4.7 | सेल्स एजेंटों को दिए गए कमीशन से संबंधित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना | 46 |
| 4.8 | छूट प्राप्त सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाना | 47 |
| 4.9 | सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग | 49 |
| अध्याय 5: अन्य रुचिकर मामले | | 51-58 |
| 5.1 | अनुपालन मामलों से संबंधित सेवा कर | 51 |
| 5.2 | कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व हानि | 56 |
| 5.3 | उपकर के भुगतान के प्रति मूल उत्पाद शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग | 57 |
| 5.4 | अन्य मामले | 58 |
| संकेताक्षर | | 59 |

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में ऑटोमोटिव क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं तथा इसमें 2010-11 से 2012-13 की अवधि शामिल है। जहाँ भी आवश्यक था, परवर्ती या पूर्व की अवधि के मामले को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2013-14 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए थे।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एवं इनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता है।

कार्यकारी सार

हमने यह जानने के लिए कि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन द्वारा अपने अनुपालन सत्यापन तंत्र, करदाताओं और चूककर्ताओं के वार्षिक विश्लेषण, छूट की निगरानी आदि के माध्यम से राजस्व हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं, हमने ऑटोमोबाइल्स या उनके पार्ट्स बनाने वाले 239 निर्धारितियों से संबंधित अभिलेखों की जाँच सहित 40 चयनित कमिश्नरियों में निष्पादन लेखापरीक्षा की। ऐसा करते समय, हमने नियमों की उपयुक्तता और समुचित निर्धारण एवं राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने में वर्तमान निर्देशों को भी देखा।

निष्पादन लेखापरीक्षा में ऑटोमोटिव क्षेत्र से शुल्क के निर्धारण और वसूली से संबंधित अनुपालन मामले के साथ-साथ मौजूदा प्रावधानों, प्रणाली में कुछ कमियों का पता चला।

- चयनित 40 कमिश्नरियों में से 39 ने सूचित किया कि उन्होंने तत्संबंधी क्षेत्र से राजस्व संग्रहण का कोई विश्लेषण नहीं किया था।

(पैराग्राफ 2.1)

- ऑटोमोटिव क्षेत्र के निर्धारिती द्वारा इस क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों और सेनवेट क्रेडिट नियमों के तहत निर्धारित रिटर्न्स की गैर प्रस्तुति/विलम्बित प्रस्तुति।

(पैराग्राफ 2.2)

- हमने देखा कि 1,116 निर्धारितियों के लिए मास्टर फाइलें नहीं बनाई गई थी।

(पैराग्राफ 2.3.1)

- हमने 587.56 करोड़ राजस्व वाले माँग के अधिनिर्णयन में एक वर्ष से पाँच वर्षों तक का विलम्ब देखा।

(पैराग्राफ 2.6)

- इनपुट/पूँजीगत माल को 'उसी रूप में' निकासी के समय इनपुट सेवाओं से संबंधित समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट विपरीत करने के लिए सेनवेट

क्रेडिट नियमों में प्रावधान का अभाव। हमने ` 87.37 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 44 मामले देखे।

(पैराग्राफ 2.7)

- इस लेखापरीक्षा जाँच के दौरान हमने ` 547.93 करोड़ के शुल्क प्रभाव वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल के गलत मूल्यांकन के 25 मामले देखे।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.5)

- इस लेखापरीक्षा जाँच के दौरान हमने ` 6.74 करोड़ के शुल्क प्रभाव सहित सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने के 144 मामले पाए।

(पैराग्राफ 4.1 से 4.9)

सिफारिशें

- मंत्रालय को निर्धारित तिथि तक आवधिक रिटर्न दाखिल करने हेतु अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामले में निर्धारितियों से विलम्ब शुल्क (जब तक कि उचित कारण बताने पर माफ नहीं कर दिया जाता) का भुगतान करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में प्रावधान करना चाहिए।
- मंत्रालय को निर्धारित अवधि के भीतर संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न्स दाखिल करने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में प्रावधान करना चाहिए।
- मंत्रालय को इनपुट/पूँजीगत माल को 'उसी रूप में' निकासी के समय इनपुट सेवाओं से संबंधित समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट की विपरीत के लिए सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004, में प्रावधान करना चाहिए।
- जहाँ छूट दावों का कुल मूल्य ` 5 लाख से अधिक हो, ऐसी तिथि (अथवा निर्धारित अवधि के भीतर) पर प्रस्तुत ऐसे सभी दावों की पूर्व-लेखापरीक्षा के लिए मंत्रालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में प्रावधान करने पर विचार करे।

- मंत्रालय को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद योग्य माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 10 की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह अधिनियम द्वारा “होल्टिंग एण्ड सब्सिडिरी संबंध” के बारे में विचार न करने से अतिरिक्त आवश्यकता थोपता है।
- यह उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रावधान लाए जाने की आवश्यकता है कि अधिनियम की धारा 4(3)(बी) के खण्ड (iv) के उद्देश्य के लिए क्या “परस्पर कारोबार में हितों की सहभागिता” का निर्माण होगा जैसाकि नियम में “अंतर्निहित उपक्रम”, “समूह”, “संबंधित व्यक्तियों”, “उसी प्रबंधन के तहत” जैसे संदर्भों की व्याख्या की गई है।

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 भारत में ऑटोमोटिव उद्योग

ऑटोमोटिव उद्योग विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी गहरी पैठ और पिछले संयोजन के कारण इसका एक मजबूत बहुआयामी प्रभाव है और यह आर्थिक वृद्धि के एक महत्वपूर्ण कारक के तहत कार्य करता है। 1991 से भारत में इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उदारीकरण के साथ सबसे सक्रिय उद्योग क्षेत्र में से एक में कई विनिर्माण सुविधायें लगातार बढ़ी हैं। इसमें कई प्रकार के वाहनों का निर्माण किया जाता है: यात्री कार, हल्का, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, बहुआयामी वाहन जैसे- जीप, दो पहिया जैसे- स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड, श्री व्हीलर, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का योगदान 1992-93 में 2.77 प्रतिशत से बढ़कर 2012¹ मध्य में 6 प्रतिशत पर बन्द हुआ।

अगस्त 2012 तक भारत में यात्री कारों और बहु-उद्देशीय वाहनों के 19 निर्माता, वाणिज्यिक वाहनों के 14 निर्माता, दो और तिपहिया वाहनों के 16 निर्माता और इंजन के 5 निर्माताओं के अलावा ट्रैक्टर के 12 निर्माता थे। इसमें भारतीय कंपनियों के अलावा सबसे बड़े वैश्विक मूल उपकरण निर्माता (ओईएमज़) भी शामिल हैं। विनिर्माण जीडीपी में आटो उद्योग का योगदान लगभग 25 प्रतिशत, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में इसका लगभग 18 प्रतिशत² भाग है।

1.2 भारत में ऑटो कंपोनेंट उद्योग

इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री देश में सबसे तेज वृद्धि करने वाले उद्योगों में से एक है। वि. व. 08 में राजस्व 26.5 बिलियन अमेरिकी डालर (1,59,159

¹ राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता लक्ष्य योजना, 2020, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार

² नीतिगत मुद्दों पर सुझाव के भारतीय मोटरवाहन विनिर्माता (एसआईएम) के जापान की पूर्व संघ बजट 2014-15, एसआईएम और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) भारत में मोटर वाहन उद्योग के विकास कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो प्रमुख निकाय हैं।

करोड़) से बढ़कर वि. व. 13 में 40.6 बिलियन अमेरिकी डालर (` 2,43,844 करोड़) हो गया है 8.9 प्रतिशत³ की समेकित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)। लागत और गुणवत्ता के संदर्भ में इस उद्योग का एक विशेष वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और इसने अपने रूपांतरण में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से वैश्विक ऑटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं का रुख किया है। लागत लाभ कच्चे माल और श्रमिक में लागत प्रतिस्पर्धा से होता है, जबकि इसका स्थापित विनिर्माण आधार वैश्विक ओईएमज़ के लिए भारत से कल-पुर्जे आउटसोर्स करना एक बाध्यकारी आकर्षण है।

वि.व. 11 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग ` 10,000 करोड़ का निवेश हुआ था। प्रमुख विदेशी कम्पनियां संयुक्त उद्यमों तथा साझेदारी के माध्यम से अथवा उनके अपने उत्पादन संयंत्र की स्थापना करके घरेलू उद्योगों में निवेश कर रही हैं। घरेलू घटक प्लेअर भी दीर्घकालीन उन्नति उद्देश्यों के लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम में भारी निवेश कर रहे हैं।

1.3 हमने यह विषय क्यों चुना

ओईएम निर्माताओं के लिए ऑटो कम्पोनेंट आपूर्तिकर्ताओं के साथ ऑटोमोबाइल प्रमुख उद्यम के कुल कारोबार में लगभग 70-80 प्रतिशत का योगदान देते हैं। अधिकतम ओईएम निर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 87 के अन्तर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान तथा इसकी निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह अनुभव किया गया कि इस क्षेत्र में विभागीय कार्रवाई, छूटों के साथ-साथ चयनित निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की कवरेज इस महत्वपूर्ण औद्योगिक भाग के अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के एक सम्पूर्ण रूप से विश्लेषण को समर्थ बनाएगी।

1.4 टैरिफ संरचना

28 फरवरी 1985⁴ से प्रभावी, रेलवे या ट्रामवे रॉलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, उसके पुर्जे तथा अतिरिक्त सामग्री अध्याय 87 के तहत वर्गीकरणीय

³www.ibef.org

⁴केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की शुरुआत

है। अध्याय 87 के तहत कवर किए गए प्रमुख उत्पाद ट्रेक्टर, व्यक्तियों तथा माल के परिवहन हेतु मोटर वाहन, मोटर साइकिल, साइकिल, इंजनो, बॉडी तथा अन्य पुर्जे के साथ फिट की गई चैसीस तथा इन वाहनो की अतिरिक्त सामग्रियां हैं। इस अध्याय के तहत निर्मित अधिकतम माल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 12 प्रतिशत दर लेता है तथा कुछ अन्य मामलों में, शुल्क की दर 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत के बीच होती है। 9 जुलाई 2004 से, शुल्क के दो प्रतिशत की दर पर शिक्षा उपकर तथा 1 मार्च 2007 से शुल्क के एक प्रतिशत की दर पर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर भी उद्वेग्राह्य हैं। वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अनुसार, एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क द्वारा एक अधिशुल्क (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क कहा जाने वाला) भी उद्वेग्राह्य है। ऑटोमोबाइल (सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए सरकार आयुध निर्माणियों में निर्यातित या निर्मित को छोड़कर) पर 1/8 प्रतिशत मूल्यवर्धित ऑटोमोबाइल उपकर भी उद्वेग्राह्य हैं।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए की थी कि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को ऑटोमोबाइल तथा ऑटो पुर्जे निर्माताओं से संबंधित राजस्व हित की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जाता है:

- क) कर दाताओं तथा चूककर्ताओं का वार्षिक विश्लेषण,
- ख) क्षेत्र से सम्बंधित विशेष जोखिमों की पहचान,
- ग) रिटर्नो, आन्तरिक लेखापरीक्षाओं तथा एन्टी-अपवंचन की विस्तृत संवीक्षा जैसा अनुपालन सत्यापन तंत्र,
- घ) आसूचना रिपोर्ट की सामूहिक शेयरिंग,
- ङ) छूटों की सावधानी से मॉनीटरिंग,
- च) विलम्ब के बिना अधिनिर्णय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास, तथा
- छ) प्राप्त सेवाओं के प्रति जांच द्वारा कर आधार को विस्तारित करना।

इसके अतिरिक्त, हमने इस संदर्भ में नियमों, परिपत्रों अधिसूचनाओं, अन्य मौजूदा अनुदेशों आदि की उपयुक्तता की भी जांच-पड़ताल की।

1.6 कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

हमने ऑटो पूर्ण के निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के अलावा चयनित कमिश्नरियों (सहायक कार्यालयों सहित) के साथ-साथ ऑटोमोबाइल निर्माताओं के परिसर में रिकॉर्डों की जांच की। कमिश्नरियों, डिविजनों तथा रेंजों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत को निष्पादन अध्ययन के दौरान कवर किया गया। दो सौ उन्तालीस⁵ निर्धारिती जो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पुर्जों का निर्माण कर रहे थे तथा जिन्हें ओईएम की आपूर्ति करने के लिए चयनित किया गया था, को उनकी कवरेज करने के लिए सीमित किया गया जो इंजन पूर्ण तथा ड्राइव ट्रांसमिशन तथा स्ट्रीयरिंग पूर्ण के निर्माता/डीलर हैं।

इस अध्ययन में 2010-11 से 2012-13 की अवधि को कवर किया गया। हालांकि, सम्मिलित मामलों के आधार पर जहां पर भी आवश्यक हो, हमने पूर्ववर्ती वर्षों के रिकॉर्डों की भी जांच की।

1.7 आभार

हम इस लेखापरीक्षा को करने हेतु आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा उसके अधीनस्थ संगठनों द्वारा किए गए सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं।

हमने 12 दिसम्बर 2013 को सीबीईसी अधिकारियों के साथ एक एंटी कान्फ्रेंस में निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की। हमने 21 अक्टूबर 2014 को सीबीईसी के साथ एक्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन किया।

⁵ ए श्रेणी यूनिटें (वार्षिक रूप से ` 100 करोड़ से अधिक शुल्क भुगतान करने वाली)-36, बी श्रेणी यूनिटें (वार्षिक रूप से ` 100 करोड़ तथा ` 50 करोड़ के बीच शुल्क भुगतान करने वाली)-26, सी श्रेणी यूनिटें (वार्षिक रूप से ` 50 करोड़ तथा ` 10 करोड़ के बीच शुल्क भुगतान करने वाली)-80 तथा डी श्रेणी यूनिटें (वार्षिक रूप से ` 10 करोड़ और ` 1 करोड़ के बीच शुल्क भुगतान करने वाली)-97

अध्याय 2: मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता

2.1 राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति

एक प्रभावी कर प्रशासन में विशेषकर प्रमुख क्षेत्रों में पूर्ण सेनवेट उपयोग सहित राजस्व संग्रहण में रूख विश्लेषण के लिए स्थापित प्रणाली शामिल होगी। हमने कमिश्नरियों से ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में किए गए ऐसे किसी विश्लेषण के विवरण उपलब्ध कराने के लिए हमने अनुरोध (नवम्बर 2013) किया। चुनी गई 40 कमिश्नरियों⁶ में 39 ने सूचित किया कि उन्होंने सेक्टर का कोई विश्लेषण नहीं किया था। गुड़गांव कमिश्नरी ने सूचित किया कि ऑटोमोबाइल उद्योग और ऑटोमोटिव घटकों का क्षेत्रीय विश्लेषण निम्नित रूप से किया जा रहा है।

तालिका संख्या 1

ऑटोमोटिव सेक्टर के संबंध में राजस्व संग्रहण

(राशि करोड़ रूपए में)

| वर्ष | यूनिटों की संख्या | पीएलए के माध्यम से प्रदत्त शुल्क | सेनवेट के माध्यम से प्रदत्त शुल्क | कुल प्रदत्त शुल्क | पीएलए से सेनवेट की प्रतिशतता |
|---------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2010-11 | 2,610 | 4,280.85 | 15,414.94 | 19,695.79 | 360.09 |
| 2011-12 | 3,018 | 5,184.13 | 20,228.60 | 25,412.73 | 390.20 |
| 2012-13 | 3,247 | 6,942.44 | 24,451.77 | 31,394.21 | 352.21 |

स्रोत: 34 कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकड़े।

चौतिस कमिश्नरियों⁷ से संग्रहीत डाटा इस सेक्टर से आठ कमिश्नरियों⁸ में 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान और दस कमिश्नरियों⁹ में 2011-

⁶ अहमदाबाद-II औरंगाबाद, बेंगलुरु-एलटीयू, बेंगलुरु-I, भोपाल, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, कालीकट, चेन्नई-एलटीयू, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, दमन, दिल्ली-एलटीयू, दिल्ली-I, दिल्ली-II, गाजियाबाद, गुड़गांव, हल्दिया, हैदराबाद-I, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-I, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता-II, कोलकाता-IV, कोलकाता-VI, लुधियाना, मरेठ-I, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक, नोएडा, पुणे-I, रायपुर, राजकोट, तिरुवेनन्तपुरम, वडोदरा-II और विशाखपट्टनम-II,

⁷ अहमदाबाद-II, औरंगाबाद, बेंगलुरु-एलटीयू, बेंगलुरु-I, भोपाल, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, कालीकट, चेन्नई-एलटीयू, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, दमन, दिल्ली-एलटीयू, दिल्ली-I, दिल्ली-II, गुड़गांव, हल्दिया, हैदराबाद-I, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-I, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता-II, कोलकाता-IV, कोलकाता-VI, लुधियाना, पुणे-I, रायपुर, राजकोट, तिरुवेनन्तपुरम, वडोदरा-II और विशाखपट्टनम-II

⁸ भुवनेश्वर-II, दिल्ली-II, दिल्ली-एलटीयू, गुड़गांव, जयपुर-I, कोलकाता-IV, कोलकाता-VI और तिरुवेनन्तपुरम

⁹ अहमदाबाद-II, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, कालीकट, दिल्ली-एलटीयू, हैदराबाद-I, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता-II और वडोदरा-II

12 की तुलना में 2012-13 के दौरान गिरावट दर्शाते थे। छः कमिश्नरियों¹⁰ को अभी सूचना भेजनी है।

2.2 विवरणियों एवं निर्धारणों की संवीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12(1) के अनुसार प्रत्येक निर्धारिती द्वारा एक मासिक विवरणी (फार्म ई आर-1) प्रस्तुत की जानी है जिसमें अन्य के साथ माल के उत्पादन और निष्कासन के विवरण दर्शाने हैं। यह विवरणी विभाग द्वारा संवीक्षा के अध्यक्षीन होती है। विवरणियों की प्रारम्भिक संवीक्षा कर प्रयोजन शुल्क संगणना की गणितीय शुद्धता, पूर्णता (स्थाई खाता संख्या (पीएएन), मदों का विवरण, युनिट आदि का पंजीकरण विवरण), सामयिकता (विवरणी का समय से प्रस्तुत करना और शुल्क का समय पर भुगतान) सुनिश्चित करना तथा नॉन-फाइलर्स और स्टाप फाइलर्स की पहचान करना है। चिन्हित जोखिमों के आधार पर चयनित विवरणियों की किए गए निर्धारण की शुद्धता (वर्गीकरण, मूल्यांकन और सेनवेट क्रेडिट की शुद्धता) सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से संवीक्षा की जाए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12(2)(ए) के अनुसार प्रतिवर्ष व्यक्तिगत खाता लेखा (पीएलए)/ सेनवेट या साथ साथ दोनों के माध्यम से एक करोड़ अथवा उससे अधिक का भुगतान करने वाले निर्धारितियों द्वारा वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण (फार्म ई आर-4) प्रस्तुत किया जाता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 ए (1) के अनुसार पीएलए/सेनवेट अथवा साथ-साथ दोनों के माध्यम से प्रतिवर्ष एक करोड़ या उससे अधिक का भुगतान करने वाले निर्धारितियों द्वारा प्रतिवर्ष प्रमुख प्रयोज्य सामग्री से संबंधित सूचना (फार्म ई आर-5) प्रस्तुत की जाती है। सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9 ए (3) के अनुसार पीएलए/सेनवेट अथवा साथ साथ दोनों के माध्यम से प्रतिवर्ष एक करोड़ या उससे अधिक का भुगतान करने वाले निर्धारितियों द्वारा प्रत्येक प्रमुख प्रयोज्य सामग्री की प्राप्ति और खपत की मासिक विवरणी (फार्म ई आर 6) प्रस्तुत की जानी है। नियम 12(2ए)(ए) के अनुसार विद्युत और प्रबलित सीमेंट कंकरीट की सहायता के बिना बीडी और माचिस के विनिर्माताओं को छोड़कर सभी निर्धारितियों द्वारा वार्षिक

¹⁰ गाजियाबाद, मेरठ-1, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक और नोएडा

प्रतिष्ठापित क्षमता से संबंधित वार्षिक विवरणी (फार्म ई आर 7) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत निर्धारित विवरणी का नियत तारीख को अथवा उससे पहले प्रस्तुत न करना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का उल्लंघन है। इसलिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 27 के अन्तर्गत शास्ति लगाई जाए।

लेखापरीक्षा ने चिन्हित कमिश्नरियों के अधीन चयनित रेजों से गत तीन वर्षों के दौरान उनको दाखिल ई आर-1, ई आर-4, ई आर-5, ई आर-6 और ई आर-7 विवरणियों पर डाटा भेजने के लिए अनुरोध किया ताकि यह आश्वासन मांगा जा सके कि विवरणियों और निर्धारणों का संवीक्षा निष्पादन उचित रूप से किया गया है। उत्तर में, लेखापरीक्षा ने 39 कमिश्नरियों के अधीन (नागपुर को छोड़कर) रैंजो से डाटा प्राप्त किया। प्राप्त डाटा का विश्लेषण निम्नवत दर्शाया गया है:-

2.2.1 ई आर-1 विवरणियाँ (माल के उत्पादन और हटाने तथा अन्य सुसंगत विवरण एवं सेनवेट क्रेडिट की मासिक विवरणी)

तालिका संख्या 2

ई आर-1 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपए में)

| वर्ष | देय विवरणियाँ | प्राप्त विवरणियाँ | प्राप्त न हुई विवरणियाँ | नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ | शास्ति की गई राशि | |
|---------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | लगाई गई | वसूल की गई |
| 2010-11 | 24,320 | 24,201 | 119 | 23,780 | 421 | 0.38 | 0.32 |
| 2011-12 | 28,423 | 28,338 | 85 | 27,901 | 437 | 1.35 | 1.00 |
| 2012-13 | 31,634 | 31,558 | 76 | 30,904 | 654 | 1.16 | 0.91 |

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकड़े।

हमने निम्नवत देखा;

- गुडगांव और नासिक कमिश्नरियों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान 280 ई आर-1 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी।

गुडगांव कमिश्नरियों के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

- जयपुर-1 और बेंगलुरु-1 कमिश्नरियों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान क्रमशः 65 और 70 ई आर-1 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थीं। तथापि, इनमें किसी भी मामले में शास्ति नहीं लगाई गई थी।

जयपुर-1 कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि 48 मामलों में निर्धारितियों द्वारा शास्तियां जमा की गई हैं। शेष मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

बेंगलुरु-1 कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि (अक्टूबर 2014) कि विलम्ब से फाइलिंग इरादतन जान बूझकर नहीं की गई थीं बल्कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के ऑटोमेशन (एसीईएस) में माप की मानक यूनिटों को उपलब्ध कराने में कमी के कारण थी।

- वर्ष 2010-11 और 2012-13 तक के दौरान प्राप्त 96 प्रतिशत विवरणियाँ प्रारम्भिक संवीक्षा के अध्यक्षीन थी और 3 प्रतिशत विवरणियाँ विस्तृत संवीक्षा के अध्यक्षीन थीं।
- 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान केवल 7 कमिश्नरियों¹¹ (चयनित 40 में से) ने विस्तृत संवीक्षा की।

चयनित रेजों में हमने नमूना विवरणियों की जांच में निम्नानुसार कमियां देखी:

(i) दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. कैपरो मारुती लिमिटेड मोटर वाहन पुर्जों के विनिर्माण में लगा है। हमने देखा कि जून-जुलाई 2012 और दिसम्बर 2012-जनवरी 2013 की ई आर-1 विवरणियों में तैयार माल की मात्रा के अंत शेष और अथशेष के बीच अन्तर थे। इसके अतिरिक्त, फरवरी और मार्च 2012 माह के दौरान सेनवेट क्रेडिट के अथ और अंत शेष के संबंध में ` 0.09 लाख कर अन्तर था।

हमने यह दिसम्बर 2013 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने ` 0.21 लाख की शुल्क देयता जमा किया और क्रमशः ` 0.05 लाख और 0.04 लाख के ब्याज

¹¹ अहमदाबाद-II, बेंगलुरु-I, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, इंदौर और पुणे-I

सहित ` 0.09 लाख के सेनवेट क्रेडिट का विपरण किया।

(ii) मै. डेंसो हरियाणा प्रा. लि, गुड़गांव के ई आर-1 की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने मार्च और जून 2013 में अनुपूरक बीजकों के जारी करने के कारण प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर 18 प्रतिशत की बजाय 13 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया।

हमने यह दिसम्बर 2013 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने ` 0.10 लाख अदा कर दिया था।

(iii) तिरुवनन्तपुरम कमिश्नरी में मै. केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की ई आर-1 विवरणियों और चालान फाइलों की संवीक्षा पर हमने देखा कि निर्धारिती ने 2012-13 के दौरान ` 9.07 लाख राशि की शुल्क देयता पूरी नहीं की थी।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2014)।

2.2.2 ई आर-4 विवरणियाँ (वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण)

तालिका संख्या 3

ई आर-4 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपए में)

| वर्ष | देय विवरणियाँ | प्राप्त विवरणियाँ | अप्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ | शास्ति की राशि | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | | लगाई गई | वसूल की गई |
| 2010-11 | 737 | 649 | 88 | 615 | 34 | 0.23 | 0.23 |
| 2011-12 | 903 | 789 | 114 | 759 | 30 | 0.30 | 0.30 |
| 2012-13 | 1,049 | 877 | 172 | 832 | 45 | 0.05 | 0.05 |

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकड़े।

हमने निम्नानुसार देखा;

- 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान लुधियाना और जमशेदपुर कमिश्नरियों में क्रमशः 32 और 11 ई आर-4 विवरणियाँ निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुई थीं। तथापि, विभाग द्वारा कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी।

लुधियाना कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मंडल प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था।

- लुधियाना कमिश्नरी में 26 ई आर-4 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई थी।
- औरंगाबाद कमिश्नरी में 132 ई आर-4 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। तथापि, विभाग ने 0.01 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

औरंगाबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002, के नियम 27 ई आर-4 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दखिल न करने के लिए अनिवार्य रूप से शास्ति लगाने के लिए प्रावधान नहीं करते हैं।

हमने देखा कि विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामलों में शास्ति लगाने वाले मात्र प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत उदग्राह्य रूप सामान्य शास्ति के लिए एक प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी जिसमें विलम्ब शुल्क जब तक माफ नहीं किया गया के भुगतान की अपेक्षा है, के सदृश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

सिफारिश संख्या 1

मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमें निर्धारितियों से एक निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियों को दाखिल करने की अपेक्षा वाले प्रावधानों के अन्वयपालन के मामले में विलम्ब शुल्क अदा करने (जब तक पर्याप्त कारण दर्शाते हुए माफी न दी गई है।) के लिए अपेक्षा हो।

हमने चयनित रेजों में नमूना विवरणियों की जांच पर निम्नलिखित कमियां भी देखीं।

दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोटर वाहन पुर्जों के विनिर्माण में लगा है। हमने देखा कि 2010-11 से 2012-13 की ई आर-4 विवरणियों में प्रमुख प्रयोज्य सामग्री और तैयार माल की मात्रा के अंतशेष और अथशेष के बीच अंतर थे। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि की ई आर-1 और ई आर-4 विवरणियों में सेनवेट क्रेडिट आंकड़े भी मेल नहीं खाते थे।

हमने यह दिसम्बर 2013 में बताया।

इसी प्रकार, दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. रसांदिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की ईआर-4 विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि 2011-12 की ई आर-4 विवरणी में जैसा दर्शाया गया, विनिर्मित माल (अर्थात् सीआर शीट, सीआर कॉल्स आदि) उपयुक्त कच्ची सामग्री की सभी मदों का अंत शेष 2012-13 की ई आर-4 विवरणी के अथशेष से मेल नहीं खाते थे।

हमने यह फरवरी 2014 में बताया।

पुणे-1 कमिश्नरी में मै. मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में 2011-12 और 2012-13 के लिए ई आर-4 विवरणियों के अभिलेखों की संवीक्षा करते समय हमने देखा कि तैयार माल के अथ और अंत स्टॉक में अन्तर था जिसके परिणामस्वरूप गलत ई आर-4 विवरणियाँ दाखिल हुईं।

हमने यह जनवरी 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि इन निर्धारितियों ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर संशोधित विवरणियाँ दाखिल की थी।

तथापि यह देखा गया कि संशोधित सेवा कर विवरणियों के दाखिल करने के लिए सेवा कर नियमावली के नियम 7 बी में प्रावधान विपरीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 के अन्तर्गत कोई संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सिफारिश संख्या 2

मंत्रालय को निर्धारित अवधि के अन्दर संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियाँ दाखिल करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में एक समर्थक प्रावधान शामिल करना चाहिए।

21 अक्टूबर 2014 को एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी ने इंगित किया कि जीएसटी के शीघ्र लागू होने के कारण सीबीईसी इस समय अधिक परिवर्तनों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। सेवा कर के विपरीत निर्धारितियों के स्वरूप के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ऐसे प्रावधान आवश्यक नहीं हो सकते हैं और सुस्थापित प्रणाली पहले ही है।

2.2.3 ई आर-5 विवरणियाँ (सेनवेट-प्रमुख प्रयोज्य सामग्री से संबंधित सूचना की वार्षिक विवरणी)

तालिका संख्या 4

ई आर-5 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूप में)

| वर्ष | देय विवरणियाँ | प्राप्त विवरणियाँ | अप्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ | शास्ति की राशि | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | | लगाई गई | वसूल की गई |
| 2010-11 | 697 | 545 | 152 | 516 | 29 | 0.05 | 0.05 |
| 2011-12 | 861 | 723 | 138 | 679 | 44 | 0.13 | 0.13 |
| 2012-13 | 988 | 772 | 216 | 734 | 38 | 0.11 | 0.11 |

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आँकड़े।

हमने निम्नानुसार देखा;

- गुड़गांव लुधियाना और नासिक कमिश्नरियों में 63, 34 और 63 ई आर-5 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने निर्धारितियों पर कोई शास्ति नहीं लगाई।

मंत्रालय ने गुड़गांव और लुधियाना कमिश्नरियों के संबंध में सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

- लुधियाना कमिश्नरी में 41 ई आर-5 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि विभाग इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाता है।

- औरंगाबाद कमिश्नरी में 146 ई आर-5 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि विभाग ने 0.02 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

औरंगाबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि नियम ई आर-5 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दाखिल न करने के लिए अनिवार्य शास्ति के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान नहीं करते हैं।

हम देखते हैं कि विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामलों में शास्ति लगाने को शामिल करने वाला मात्र प्रावधान सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 15 ए के अन्तर्गत लगाने योग्य सामान्य शास्ति के लिए प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी के सदृश्य सेनवेट क्रेडिट नियम में कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें जब तक माफी नहीं दी जाती विलम्ब शुल्क के भुगतान की अपेक्षा हो।

हमें मंत्रालय की उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

हम पैरा 2.2.2 में सिफारिश पुनः दोहराते हैं कि मंत्रालय को सुसंगत नियमों में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमें निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियों के दाखिल करने वाले प्रावधानों के अननुपालन के मामलों में विलम्ब शुल्क (पर्याप्त कारण दर्शाते हुए जब तक माफी न दी जाये) अदा करने के लिए निर्धारती से अपेक्षा हो।

2.2.4 ई आर-6 विवरणियाँ (सेनवेट-प्रमुख प्रयोज्य सामग्री से संबंधित सूचना की मासिक विवरणी)

तालिका संख्या 5

ई आर-6 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपये में)

| वर्ष | देय विवरणियाँ | प्राप्त विवरणियाँ | अप्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ | शास्ति की राशि | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | | लगाई गई | वसूल की गई |
| 2010-11 | 8,217 | 7,215 | 1,002 | 7,015 | 200 | 0.12 | 0.12 |
| 2011-12 | 10,186 | 9,036 | 1,150 | 8,803 | 233 | 0.06 | 0.06 |
| 2012-13 | 11,768 | 10,265 | 1,503 | 9,967 | 298 | 0.26 | 0.26 |

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आकड़े।

हमने निम्नानुसार देखा;

- गुड़गांव, लुधियाना और नासिक कमिश्नरियों में 1135 ई आर-6 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि गुड़गाँव और लुधियाना कमिश्नरियों के संबंध में विभाग सुधारात्मक कार्यवाही कर रहा है।

- बेंगलुरु-। कमिश्नरी में 330 ई आर-6 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि विभाग सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है।

- पुणे कमिश्नरी में 271 ई आर-6 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि, विभाग ने ` 0.21 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मंडल के वास्तविक आंकड़े के साथ मिलान पर लेट फाइलर 322 है और 30 मामलों में ` 0.24 लाख की शास्ति वसूल की गई है। शेष मामलों में सुधारात्मक कार्यावाही की जा रही है।

- जयपुर-। कमिश्नरी में 117 ई आर-6 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि, विभाग ने कोई शास्ति नहीं लगाई।

- औरंगाबाद कमिश्नरी में 1,357 ई आर-6 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने ` 0.01 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

औरंगाबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि ई आर-5 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दाखिल न करने के लिये अनिवार्य शास्ति के उद्ग्रहण के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है।

हमने देखा कि मात्र प्रावधान जो विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामलों में शास्ति लगाना शामिल करते हैं, सामान्य शास्ति के लिए प्रावधान हैं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 27/सेनवेट क्रेडिट नियमावली के

नियम 15 ए के अन्तर्गत लगाने योग्य हैं। इसके अलावा सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी के सदृश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम/सेनवेट क्रेडिट नियम में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जब तक माफी नहीं दी जाती है, विलम्ब शुल्क के भुगतान की अपेक्षा हो।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)

जैसा पूर्व में दर्शाया गया, लेखापरीक्षा की राय है कि मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमें निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियों के दाखिल करने की अपेक्षा वाले प्रावधानों के अननुपालन के मामलों में विलम्ब शुल्क (पर्याप्त करण दर्शाते हुए जब तक माफ नहीं किए जाते हैं) अदा करने के लिए निर्धारित से अपेक्षा हो।

2.2.5 ई आर-7 विवरणियाँ (वार्षिक स्थापित क्षमता विवरण)

तालिका संख्या 6

ई आर-7 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपए में)

| वर्ष | देय विवरणियाँ | प्राप्त विवरणियाँ | अप्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ | नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ | शास्ति की राशि | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | | लगाई गई | वसूल की गई |
| 2010-11 | 1,925 | 1,181 | 744 | 1,124 | 57 | 0.15 | 0.15 |
| 2011-12 | 2,299 | 1,411 | 888 | 1,358 | 53 | 0.13 | 0.13 |
| 2012-13 | 2,576 | 1,607 | 969 | 1,548 | 59 | 0.07 | 0.07 |

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकड़े।

हमने निम्नानुसार अवलोकन किया;

- गुड़गांव, लुधियाना और नासिक कमिश्नरियों में कुल 302 ई आर-7 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई।

गुड़गांव कमिश्नरी के संबंध में अपने उत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि ई आर-7 विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। लुधियाना कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि विभाग सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है।

- पुणे-1 और औरंगाबाद कमिश्नरियों में 1992 ई आर-7 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने ` 0.08 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

टिप्पणी स्वीकार करते हुए पुणे-1 कमिश्नरियों ने बताया (जून 2014) कि दो मामलों में ` 0.24 लाख की शास्ति वसूल की गई है।

औरंगाबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमवली, 2002 के नियम 27 में ई आर-7 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दाखिल न करने के लिए अनिवार्यतः शास्ति लगाने के लिए प्रावधान नहीं है।

हमने देखा कि विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामले में शास्ति लगाने वाला मात्र प्रावधान सामान्य शास्ति के लिए प्रावधान है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत लगाने योग्य है। इसके अतिरिक्त सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी के अनुरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जब तक माफी नहीं दी जाती है विलम्ब शुल्क के भुगतान की अपेक्षा हो।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दर्शाया गया मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमें एक निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियों के दाखिल करने वाले प्रावधानों के अननुपालन के मामले में विलम्ब शुल्क (पर्याप्त कारण दर्शाते हुए जब तक माफी न दी गई हो) अदा करने के लिए निर्धारिती से अपेक्षा हो।

2.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, 2008 के पैराग्राफ 9 के अनुसार निर्धारिती मास्टर फाइल तैयार की जानी है और प्रत्येक कमिश्नरी में लेखापरीक्षा सेल द्वारा अद्यतन किया जाना है। उसमें अनुबंध 'ए' में जैसा दर्शाया गया दस्तावेजों की एक सूची और अनुबंध 'बी' के अनुसार निर्धारित के विवरण प्रत्येक निर्धारिती मास्टर फाइल में रखा जाना है। नियम पुस्तक का पैराग्राफ 10.1.2 पुनः निम्नवत निर्धारित करता है:

- (i) ` 3 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व अदा करने वाली सभी युनिटों की प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा की जानी है।
- (ii) ` 1 करोड़ और ` 3 करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाली यूनिटों की लेखापरीक्षा दो वर्ष में एक बार की जानी है।
- (iii) ` एक करोड़ और ` 50 लाख के बीच शुल्क अदा करने वाली यूनिटों की लेखापरीक्षा पांच वर्ष में एक बार की जानी है और
- (iv) ` 50 लाख से कम राजस्व वाली युनिटों के 10 प्रतिशत की लेखापरीक्षा प्रति वर्ष की जानी हैं।

2.3.1 मास्टर फाइलों का सृजन

तीस कमिश्नरियों से प्राप्त मास्टर फाइलों के सृजन की स्थिति निम्नलिखित है। दस कमिश्नरियों¹² ने यह सूचना नहीं भेजी है।

तालिका संख्या 7

मास्टर फाइलों के सृजन की स्थिति

| वर्ष | युनिटों की संख्या जिनकी मास्टर फाइलें सृजित की गईं | यूनिटों की संख्या जिनकी मास्टर फाइलें सृजित नहीं की गईं |
|---------|--|---|
| 2010-11 | 1,606 | 800 |
| 2011-12 | 1,908 | 1,018 |
| 2012-13 | 2,072 | 1,116 |

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आकड़े।

हमने देखा कि लुधियाना, चेन्नई-III और जमशेदपुर कमिश्नरियों ने क्रमशः 241, 372 और 269 निर्धारितियों के लिए निर्धारित मास्टर फाइलें सृजित नहीं थीं। हमने यह दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014 के बीच बताया विभाग ने बताया (मार्च 2014) कि निर्धारित मास्टर फाइलों के अनुरक्षण न करने के लिए निम्नानुसार कारण बताए (i) गैर-आवश्यक युनिटों के संबंध में फाइलों का रखरखाव नहीं किया (ii) निर्धारितियों द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं

¹² अहमदाबाद-II, बेंगलुरु-I, बेंगलुरु-एलटीयू, गाजियाबाद, मेरठ-I, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक, नोएडा और वड़ोदरा-II

कराया गया (iii) वहां स्थाई लेखापरीक्षा सेल नहीं था (iv) जनशक्ति का आभाव आदि।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि चेन्ई-III के संबंध में मास्टर फाइलें अनिवार्य श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली यूनिटों के संबंध में तैयार किए गए हैं और अन्य सभी यूनिटों के संबंध में मास्टर फाइलें शीघ्र तैयार की जाएंगी।

2.3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए यूनिटों का कवरेज

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए यूनिटों के कवरेज की स्थिति 29 कमिश्नरियों से प्राप्त हुई जो नीचे तालिका में चित्रित है। ग्यारह कमिश्नरियों¹³ को अभी यह सूचना भेजनी है।

तालिका संख्या 8

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा यूनिटों का कवरेज

| वर्ष | ` 3 करोड़ से अधिक शुल्क अदा करने वाली यूनिटें (पीएलए+सेनवेट) | | ` 3 करोड़ और 1 करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाली यूनिटें (पीएलए+सेनवेट) | | ` 50 लाख और 1 करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाले यूनिटें (पीएलए+सेनवेट) | | ` 50 लाख से कम शुल्क अदा करने वाली यूनिटें (पीएलए +सेनवेट) | |
|---------|--|-------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों की संख्या | कवर की गई यूनिटें | लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों की संख्या | कवर की गई यूनिटों की संख्या | लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों की संख्या | कवर की गई यूनिटों की संख्या | लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों की संख्या | कवर की गई यूनिटों की संख्या |
| 2010-11 | 416 | 401 | 147 | 149 | 101 | 109 | 216 | 239 |
| 2011-12 | 559 | 537 | 219 | 206 | 121 | 116 | 202 | 175 |
| 2012-13 | 762 | 709 | 199 | 171 | 121 | 109 | 212 | 163 |

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आँकड़े; श्रेणियां वार्षिक शुल्क भुगतान पर आधारित हैं।

हमने कमिश्नरियों के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के कार्य करने के संबंध में निम्नवत देखा:

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, 2008 के पैराग्राफ 12.3.1 और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011, के पैराग्राफ 9.5.1 के

¹³ अहमदाबाद-II, बंगलुरु-एलटीयू, चेन्ई-II, चेन्ई-एलटीयू, गाजियाबाद, मेरठ-I, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक, नोएडा और वडोदरा-II

अनुसार लेखापरीक्षा निष्पादन के विभिन्न स्तरों की निगरानी के लिए निर्धारित फार्मेट में लेखापरीक्षा के लिए आयोजित यूनिटों का एक रजिस्टर रखा जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखापरीक्षा ग्रुप के लिए आंबटित सभी यूनिटों की लेखापरीक्षा हो गई है और कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय से जारी कर दिए गए हैं।

बेंगलुरु-एलटीयू कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर का रखरखाव किया परन्तु जनवरी 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए इसमें प्रविष्टियां नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2009 तक की अवधि के लिए रजिस्टर में लेखापरीक्षा सेल को आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) के प्रस्तुतीकरण की तारीख, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या, आईएआर जारी करने की तारीख, लेखा परीक्षा की वास्तविक तारीख से संबंधित प्रविष्टियाँ-समाविष्ट नहीं हैं। परिणामतः इन रजिस्ट्रों से यह मॉनीटरन करना संभव नहीं था कि क्या अनिवार्य यूनिटों की लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी (एलटीयू के लिए प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा दो वर्षों में एक बार की जानी है) और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय से जारी किए गए थे। पुनः रजिस्टर को अद्यतन नहीं किया गया था तथा प्रविष्टियां केवल 2013-14 की प्रथम तिमाही की हुई थीं।

हमने यह जुलाई 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर का रखरखाव कम्प्यूटर में किया गया था और बाद में उसकी हार्ड कापी निर्धारित रजिस्टर में चिपका दी गई है।

(ii) इसके अलावा हमने देखा कि कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा योजना और निष्पादन के लिए एसीईएस के लेखापरीक्षा मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

हमने यह जुलाई 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि एसीईएस के अन्तर्गत लेखापरीक्षा मॉड्यूल कार्य कर रहा था, इसमें कई अड़चनें हैं जिससे मॉड्यूल व्यावहारिक रूप से कार्ययोग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारितियों से प्राप्त

दस्तावेजों की हार्ड कापी भारी मात्रा वाले दस्तावेज हैं जिसके डिजिटाइज़ेशन के लिए अतिरिक्त स्टाफ अपेक्षित है।

(iii) नासिक कमिश्नरी के मै. महिन्द्रा उगीने स्टील कम्पनी लिमिटेड की ईए 2000 लेखापरीक्षा सितम्बर-अक्टूबर 2011 में की गई थी जिसमें अक्टूबर 2010 से सितम्बर 2011 तक की अवधि शामिल थी। यह देखा गया कि पूँजीगत माल पर ` 3.60 लाख के अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा टिप्पणी की गई थी। पैराग्राफ प्रस्तुत किए जाने के बाद सितम्बर 2011 में निर्धारिती द्वारा राशि अदा की गई थी। तदनुसार, लेखापरीक्षा पैराग्राफ का निपटान आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा किया गया था। तथापि, हमने देखा कि लेखापरीक्षा पैराग्राफ का निपटान ब्याज वसूली के बिना किया गया था। यद्यपि, इनपुट सेवाओं और कच्ची सामग्री पर अस्वीकार्य सेनवेट का लाभ लेने पर अन्य टिप्पणियों के संबंध में उसी निर्धारिती से ब्याज वसूल किया गया था।

हमने यह फरवरी 2014 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है।

2.4 अपवंचन-रोधी उपाय

कमिश्नरियों में निवारक और आसूचना कार्य 'प्रिवेटिव इंटेलीन्जेंस ऑफीसर्स' नामक अधिकारियों को सौंपा गया है। सामान्यतः तीन से चार अधीक्षक और 20 से 25 निरीक्षक एक सहायक/उप आयुक्त के अधीन पदास्थापित हैं जो इन अधिकारियों के रोजाना के कार्य और क्रियाकलापों, निवारक एवं आसूचना कर्तव्यों दोनों का पर्यवेक्षण और निगरानी करता है। प्रिवेटिव अधिकारियों के कार्य में आसूचना संग्रहण, मार्गस्थ जांच, फैक्ट्ररी, कार्यालय तथा आवास में तलाशी आयोजन, जांच और अन्य कार्य शामिल हैं।

लेखापरीक्षा चुनी गई कमिश्नरियों द्वारा विशेषकर ऑटोमोटिव सेक्टर के संदर्भ में किए गए अपवंचन रोधी उपायों की दक्षता की जांच करना चाहा। हमारी पूछताछ के जवाब में राजकोट, बड़ोदरा-II और बेंगलुरु-I कमिश्नरियों ने

सूचित किया (जनवरी-फरवरी 2014) कि क्रमशः तीन, पांच और चार मामले अपवंचन रोधी विंग द्वारा 2010-13 अवधि के दौरान पंजीकृत किए गए थे और कारण बताओं नोटिस भी जारी किए गए थे। गुड़गांव कमिश्नरी ने सूचित किया (जून 2014) कि कमिश्नरी से प्राप्त संदर्भ के आधार पर आवश्यक जांच की गई थी और ₹ 1.09 करोड़ का सरकारी बकाया वसूल किया गया था। अन्य कमिश्नरियों ने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान पंजीकृत मामलों की शून्य सूचना दी।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

2.5 आसूचना रिपोर्टों की सामूहिक शेयरिंग

कमिश्नरियों में प्रिवेटिव विंग के महत्वपूर्ण कार्य पूरी कमिश्नरी में अधिकारियों के निवारक आसूचना क्रियाकलापों का समन्वय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क की अन्य कमिश्नरियों, राजस्व आसूचना महा निदेशालय तथा सरकार के अनुषंगी विभागों के साथ उचित सम्पर्क का रखरखाव एवं कमिश्नरी मुख्यालय में अपवंचन रोधी क्रियाकलापों पर केन्द्रीकृत अभिलेख तैयार करना है।

गत तीन वर्षों में प्रिवेटिव विंग के निष्पादन की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए हमने अपने विभाग और अन्य विभागों से सूचना संग्रहण, सूचना की शेयरिंग आदि से संबंधित पहलुओं सहित कतिपय विवरण चाहा। हमारी पूछताछ के उत्तर में राजकोट, अहमदाबाद-II और गुड़गांव कमिश्नरियों ने सूचित किया (जनवरी और जुलाई 2014 के बीच) कि उन्होंने सीमा शुल्क विभाग, महानिदेशक राजस्व आसूचना (डीजीआरआई) आदि से सम्पर्क किया। तथापि, शेष कमिश्नरियों ने सूचित किया कि उनके द्वारा ऐसा निष्पादन नहीं किया गया।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतिक्रित है (अक्टूबर 2014)।

2.6 बकाया माँगे

किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर शुल्क के कम भुगतान और गैर भुगतान को धारा 11 ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी करने, बाद में इसके

न्यायनिर्णय और वसूली कार्यवाही द्वारा वसूल किया जाना है। कारण बताओं नोटिस जारी की अवधि की सीमा-सामान्य मामलों में एक वर्ष और कपट, सांठ-गांठ आदि के कारण कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण आदि के मामले में पांच वर्ष है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से मांग नोटिस का निर्णय पूर्ववर्ती मामले में छह महीने और अन्तरवर्ती मामले में एक वर्ष के अन्दर जहां ऐसा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद संभव है करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2014 को 17 कमिश्नरियों¹⁴ द्वारा भेजी गई बकाया मांगों पर हमने डाटा को निम्नवत तालिकाबद्ध किया है:

तालिका संख्या 9
बकाया मांगों की स्थिति

(राशि करोड़ रूप में)

| क्र.सं. | निर्णय में विलम्ब | मामलों की संख्या | राशि |
|---------|--------------------|------------------|--------|
| 1. | 5 वर्ष से अधिक | 40 | 177.74 |
| 2. | 3 और 5 वर्ष के बीच | 42 | 9.77 |
| 3. | 1 और 3 वर्ष के बीच | 105 | 141.17 |
| 4. | 1 वर्ष से कम | 54 | 258.88 |

स्रोत: 17 कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

लेखापरीक्षा ने देखा कि,

- 40 मामलों में ` 177.74 करोड़ के राजस्व पर न्यायनिर्णय पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित है।
- इंदौर कमिश्नरी में ` 199.78 करोड़ वाले 82 मामलों के न्यायनिर्णय लम्बित थे।
- दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में ` 179.49 करोड़ वाले 30 मामलों के न्यायनिर्णय लम्बित थे।

उपर्युक्त टिप्पणी इंगित करती है कि निर्धारित-समायिकता होते हुए भी अधिकांश कमिश्नरियों में निर्णय में लम्बे विलम्ब के कई उदाहरण मौजूद हैं।

¹⁴ बेंगलुरु-I, भोपाल, भुवनेश्वर-I, चेन्नई-IV, दिल्ली-एलटीयू, दिल्ली-I, हैदराबाद-I, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-I, जमशेदपुर, मुंबई-एलटीयू, नोएडा, पुणे-I, राजकोट, वडोदरा-II और विशाखापत्तनम-II

2.7 नियमों में प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार इनपुट सेवाओं में इनपुट की खरीद के संबंध में प्रयुक्त सेवाएँ और इनपुट अथवा पूंजीगत माल के आवक परिवहन अथवा हटाने आदि के स्थान तक जावक परिवहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) में व्यवस्था है कि अंतिम उत्पाद का विनिर्माता अथवा उत्पादक या कर योग्य सेवा या प्रदाता अंतिम उत्पाद के विनिर्माता द्वारा प्राप्त इनपुट सेवा पर सेवा कर का क्रेडिट लेने के लिए अनुमत किया जाएगा। यद्यपि नियम 3(5) में इस खाते इनपुट अथवा हटाए गए पूंजीगत माल पर लिए गए क्रेडिट के विपर्यय के लिए प्रावधान है, इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर के क्रेडिट के बराबर राशि के भुगतान की अपेक्षा वाले नियमों के अन्तर्गत तदनुरूपी प्रावधान नहीं है। इन सेवाओं में सीमाशुल्क गृह एजेंट की सेवाएँ, क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंट की सेवाएँ, इनपुट अथवा पूंजीगत माल आदि की खरीद परिवहन के लिए परिवहन के लाभ शामिल हो सकेंगे। ऐसे प्रावधान की अभाव के परिणामस्वरूप विनिर्माता को अनभिप्रेत लाभ होता है।

सत्रह कमिश्नरियों¹⁵ में 44 मामलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारितियों ने इस नाते इनपुट की निकासी की थी और इनपुट पर उठाए गए सेनवेट क्रेडिट के लाभ का विपर्यय किया। तथापि, ₹ 87.37 करोड़ के इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट के समानुपातिक मूल्य का विपर्यय सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में उपयुक्त प्रावधान के अभाव के कारण नहीं किया। कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

2.7.1 वड़ोदरा-II कमिश्नरी में एक निर्धारिती में जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोटर वाहनों के विनिर्माण में लगा है। निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ₹ 168.45 करोड़ मूल्य के इनपुट (उसी रूप में) की निकासी की जो इनपुट की कुल खरीद का 5.48 और 19.02 प्रतिशत के बीच बनता था। निर्धारिती ने इन इनपुट पर लिए गए लाभ के सेनवेट क्रेडिट का विपर्यय किया। तथापि, हमने देखा कि इनपुट सेवाओं के

¹⁵ अहमदाबाद-II, औरंगाबाद, चेन्नई-एसटी, दमन, गाजियाबाद, गुडगांव, हैदराबाद-I जयपुर-I, मेरठ-I, मुंबई-एलटीयू, मुंबई-V, नागपुर, नासिक, नोएडा, पुणे-I, राजकोट और वड़ोदरा-II

सेनवेट क्रेडिट के विपर्यय के लिए उपयुक्त प्रावधान के अस्तित्व में न होने के कारण उसी अवधि के दौरान इनपुट सेवाओं पर लिए गए लाभ पर निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट का विपर्यय नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, विनिर्माता को ` 15.16 करोड़ का अनमिप्रेत लाभ हुआ।

हमने यह जनवरी 2014 में बताया।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

2.7.2 गुड़गांव कमिशनरी में मै. हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड दो-पहिया और उसके पुर्जों के विनिर्माण में लगा है। निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान उसी रूप में निकासी किए गए इनपुट पर ` 49.45 करोड़ के उत्पाद शुल्क और उस पर उपकर का विपर्यय किया। हमने देखा कि निर्धारिती ने कच्ची सामग्री की खरीद के समय लिए गए क्रेडिट लाभ के बराबर सेनवेट क्रेडिट का विपर्यय किया परन्तु कच्ची सामग्री की खरीद के समय लिए गए इनपुट सेवाओं के लाभ के सेनवेट क्रेडिट के समानुपातिक क्रेडिट का विपर्यय नहीं किया गया था। इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट के विपर्यय के लिए नियमों में उपयुक्त प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप विनिर्माता को 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए ` 4.41 करोड़ का अनमिप्रेत लाभ मिला।

हमने यह मार्च 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि कुछ मामलों में इस निर्धारिती द्वारा तृतीय पक्ष को इनपुट की निकासी को छूट प्राप्त सेवा के रूप में माना गया था और निर्धारिती सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार-समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट का विपर्यय कर रहा है।

हमने देखा कि मंत्रालय का उत्तर नियमों में बताई गई कमी के लिए विशिष्ट नहीं है।

सिफारिश संख्या 3

मंत्रालय उसी रूप में इनपुट/पूँजीगत माल की निकासी के समय इनपुट सेवाओं के समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट के विपर्यय के लिए सेनवेट क्रेडिट नियम में प्रावधान समाविष्ट करें।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मामला जांच के आधीन है और निर्णय यथासमय सूचित किया जाएगा।

21 अक्टूबर 2014 को एग्जिट कान्फ्रेस के दौरान सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी ने नोट दिया कि विपर्यय की अपेक्षा वाली इनपुट सेवाओं का प्रमात्रीकरण एक थकाऊ प्रक्रिया होगी और इस प्रकार अन्तर्विष्ट करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

2.8 पूर्व लेखापरीक्षा से बचने के लिए छूट दावों का विभाजन

सीबीईसी परिपत्र दिनांक 16 मई 2008 में परिकल्पित है कि सभी प्रतिदाय/छूट दावे जिसमें ` 5 लाख अथवा उससे अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त है, अधिकार क्षेत्रीय कमिश्नर के स्तर पर पूर्व-लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन होनी चाहिए।

लुधियाना कमिश्नरी में मै. ओशो गियर्स एंड पिनियननस लिमिटेड और मै एम्सन गियर्स लिमिटेड की वर्ष 2012-13 के लिए छूट दावा फाइलों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि इन निर्धारितियों ने एक दिन कुल ` 33.95 लाख का छूट दावा पस्तुत किया था। प्रत्येक अलग दावा ` 5 लाख से कम था। हमने देखा कि इस तथ्य के बावजूद कि ये दावे एक ही लदान बिल के अन्तर्गत एक ही दिन निर्यातित माल के संबंध में इन्हें अलग दावों के रूप में फाइल करने के लिए अनुमत किया गया था। इन दावों को संबंधित मंडल द्वारा संस्वीकृत किया गया था। हमने देखा कि एक ही दिन दावा की गई कुल राशि को एकल दावा के रूप में विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पूर्व लेखापरीक्षा नहीं की गई।

पूर्व लेखापरीक्षा का परिहार न केवल बोर्ड के अनुदेशों के विपरीत है बल्कि छूट की अधिक अनुमति की संभावना बढ़ती है।

हमने यह जनवरी और मार्च 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारितियों ने अपने माल की निकासी विभिन्न एआरई-1 और विभिन्न लदान बिलों के अन्तर्गत किया। माल भिन्न एआरई-1 के तहत निर्यात किया गया। इस तथ्य के होते हुए एआरई वार दूर दावा करने में को बध्यता नहीं है कि केवल एक अथवा अधिक लदान बिल हैं। उत्पाद शुल्क प्रयोजन के लिए एआरई-1 सुसंगत सांविधिक निर्यात दस्तावेज है।

सिफारिश संख्या 4

मंत्रालय एक ही तारीख को प्रस्तुत ऐसे सभी दावों (या एक निर्धारित अवधि के अन्दर) जहां छूट दावों का कुल मूल्य ` 5 लाख से अधिक होता है, की पूर्व लेखापरीक्षा के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान समाविष्ट करने का विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मामला जांच के अधीन है।

21 अक्टूबर 2014 को एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी ने सूचित किया कि सभी दृष्टांतों में जहां अन्तर्गस्त जोखिम अधिक था, में परिपत्र के अनुसार पूर्व लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश पुनः दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑटोमोटिव सेक्टर उच्च जोखिम क्षेत्र के रूप में चिन्हित सेक्टर नहीं था।

अध्याय 3 : उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन

इस लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, हमने ` 547.93 करोड़ के शुल्क प्रभाव सहित उत्पाद शुल्क योग्य माल के गलत मूल्यांकन के 25 मामलों देखें। इनका इसे बताने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीईआरए) से पूर्व विभागीय अनुपालन सत्यापन तंत्रों द्वारा पता लगाया नहीं गया था। मंत्रालय/विभाग ने ` 238.83 करोड़ शुल्क वाले 10 मामलों में हमारी आपत्तियों पर सहमत हुआ/सुधारात्मक कार्रवाई की तथा नौ मामलों में ` 68.74 लाख की वसूली की। इन मामलों में से कुछ का निम्नलिखित पैराग्राफो मे वर्णन किया गया है।

3.1 अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों के लिए माल की निकासी के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1) अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित करती है कि जैसाकि इस अधिनियम के तहत, उत्पाद शुल्क माल के प्रत्येक निष्कासन पर उनके मूल्य के संदर्भ में किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर आदेय है, अतः ऐसा मूल्य उस मामले में होगा जहां माल निर्धारिती द्वारा निष्कासन के समय तथा स्थान पर वितरण हेतु बेचा गया हो, माल का निर्धारिती तथा क्रेता संबंधित न हो तथा कीमत बिक्री के लिए एकमात्र निमित्त हो तथा हस्तांतरण मूल्य हो। यह बताता है कि किसी अन्य मामले में, मूल्य ऐसे तरीके से निर्धारित मूल्य होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।


धारा 4(3) (बी) यह भी अनुबंधित करती है कि व्यक्तियों को 'संबंधित' माना जाएगा यदि-

- (i) वे अन्तः संबंधित उपक्रम के हो,
- (ii) वे रिश्तेदार हो,
- (iii) उनके बीच क्रेता एक रिश्तेदार हो तथा निर्धारिती का वितरक अथवा ऐसे वितरक का उप-वितरक हो, या

(iv) वे इतने सहयोगी हो कि उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के व्यवसाय में रुचि हो।

धारा 4(3)(बी) के नीचे स्पष्टीकरण उन परिस्थितियों को वर्णित करता है जिसमें दो उपक्रमों को 'अन्त सम्बंधित उपक्रम' के रूप में प्रतिपादित किया जाएगा।

3.1.1 उपरोक्त दर्शाया गया उप-खण्ड (एफ) का स्पष्टीकरण अनुबंधित करता है कि यदि उपक्रम को उसी व्यक्ति या उसी समूह द्वारा अधिकार में रखा या नियंत्रित किया जाता है तो वो अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अन्तः सम्बंधित उपक्रम होगा। इसके अलावा, धारा 4 के स्पष्टीकरण V के द्वारा "ग्रुप" में अन्य बातों के साथ-साथ दो निकायों को शामिल किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निकाय पर नियंत्रण रखती है।



वोक्सवैगन इंडिया प्रा.लि. (वीआईपीएल) के रिकॉर्डों की जांच के दौरान, हमने देखा की वोक्सवैगन कारो को वीआईपीएल के साथ-साथ मै. स्कोडा ऑटो इंडिया प्रा.लि. (एसएआईपीएल) द्वारा भारत में निर्मित किया जाता है। तथापि, सभी वोक्सवैगन कारो को अन्य किसी उपक्रमों अर्थात वोक्सवैगन ग्रुप सेल्स इंडिया प्रा.लि. (वीजीएसआईपीएल) के माध्यम से भारत में बेचा जाता है। हमने यह भी देखा कि वीआईपीएल तथा वीजीएसआईपीएल दोनों को दो अन्य विदेशी कम्पनियों अर्थात वोक्सवैगन एजी तथा वोक्सवैगन इंटरनेशनल फाइनेंस एनवी द्वारा स्वामित्व में रखा जाता है। मै. वोक्सवैगन इंटरनेशनल फाइनेंस एनवी मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल में क्रमशः 23 प्रतिशत तथा 99 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त शेयर रखता है। दोनों कम्पनियों में शेष शेयरों को वोक्सवैगन एजी द्वारा स्वामित्व में रखा जाता है। चूंकि मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल को इसी समूह द्वारा स्वामित्व में रखा तथा नियंत्रित किया जाता है अतः वे उद्धरित स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (एफ) द्वारा अन्तः सम्बद्ध उपक्रम है तथा इसलिए अधिनियम की धारा 4 के तहत संबंधित व्यक्ति है। इस वजह से, निर्धारणीय मूल्य निर्दिष्ट नियमो अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्त दर्शाई गई नियमावली का नियम 10 परिकल्पित करता है कि जब एक निर्धारिती यह व्यवस्था करता है कि उत्पाद शुल्क योग्य माल को उसके द्वारा एक अन्तः सम्बद्ध उपक्रम के लिए या उसके माध्यम से बेचा जाए, तो माल के मूल्य को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:-

(क) यदि एक उपक्रम इतना सम्बद्धित होता है कि वे अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (बी) के उप-खण्ड (ii) या (iii) या (iv) के अनुसार भी संबंधित हो या क्रेता निर्धारिती की कम्पनी तथा सहायक कम्पनी को रखता हो तो मूल्य को नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ख) किसी अन्य मामले में, मूल्य को निर्धारित किया जाएगा जैसे कि वे धारा 4 की उप धारा (1) के उद्देश्य हेतु संबंधित व्यक्ति नहीं है।

इसके अलावा, नियम 9 परिकल्पित करता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल को उस व्यक्ति के लिए या उसके माध्यम से एक निर्धारिती द्वारा बेचा जाता है जो या तो उप खण्डों (ii), (iii) या (iv) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट तरीके से संबंधित हो, वहां माल का मूल्य सामान्य हस्तांतरण मूल्य होना चाहिए जिस पर उसे क्रेता (संबंधित व्यक्ति नहीं) के लिए हटाने के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है।

इस मामले में, हमने अवलोकन किया कि विक्रेता तथा क्रेता अन्तः संबंधित उपक्रम है। उन्हें धारा 4(3) के उप-खण्ड (iv) को पूरा करने के लिए भी देखा जा सकता था अर्थात् वे इतनी संबंधित हैं कि उनका एक दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है। भले ही दो कम्पनियां एक दूसरे में शेयर नहीं रखती हैं, तथापि वीआईपीएल अपनी कारों की बिक्री के लिए पूर्ण रूप से वीजीएसआईपीएल पर निर्भर है। इसलिए भी वीजीएसआईपीएल की बिक्री गतिविधियां वीआईपीएल (इसके अन्य स्रोत इसकी अन्य ग्रुप डिविजन कम्पनियां एसएआईपीएल, ऑडी इंडिया तथा पोरस्चे इंडिया हैं) द्वारा इसकी निर्मित तथा आपूर्ति की गई कारों पर एक महत्वपूर्ण सीमा पर निर्भर करेगा। अतः इसमें हित की पारस्परिकता है तथा इस कारण से मूल्य को उपरोक्त नियम 9 लागू करके निर्धारित करना है।

इसलिए मैं. वीजीएसआईपीएल द्वारा इसके ग्राहकों को बिक्री पर रिलीज किए माल का मूल्य मैं. वीआईपीएल के निर्धारणीय मूल्य के उद्देश्य हेतु मूल्य होगा। हमने मैं. वीजीएसआईपीएल के 2011-12 तथा 2012-13 के तुलन-पत्र से देखा कि संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रकटन ने मैं. वीआईपीएल द्वारा निर्मित माल की खरीद को दर्शाया। ई आर-1 रिपोर्टों के लिए माने गए मूल्य की तुलना के संदर्भ में वीजीएसआईपीएल द्वारा व्यापार किए गए मोटरकारों की खरीद से संबंधित आकड़ों की तुलना करके, हमने देखा कि इसमें ` 647.71 करोड़ का अन्तर था जो वारंटी प्रभारे, वीजीएसआईपीएल मार्जिन आदि जैसी राशियों के लिए आरोपणीय होगा। चूंकि मैं. वीआईपीएल तथा मैं. वीजीएसआईपीएल संबंधित कम्पनियां हैं, अतः उपरोक्त प्रभारों को मैं. वीआईपीएल द्वारा निर्मित मंजूरी के निर्धारण योग्य मूल्य की संगणना करने

में शामिल किया जाना है। इसके समावेशन न होने के परिणामस्वरूप 182.71 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमने इसे जनवरी 2014 में बताया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीसीआईपीएल अन्तः संबंधित उपक्रम हैं, तथापि मै. वीआईपीएल द्वारा अनुमति को नियम 10 के तहत कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल का एक धारक तथा सहायक संबंध नहीं है। इसके अलावा, डीजीसीईआई, पुणे क्षेत्रीय इकाई पहले ही मै. वीजीएसआईपीएल को बिक्री के संबंध में मै. वीआईपीएल द्वारा निर्मित वाहनों के प्रबंध मूल्य के कम मूल्यांकन के संदर्भ में जांच पड़ताल कर रहा है, अतः सीईआरए अवलोकनों को डीजीसीईआई की जांच के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का मत यह है कि उपक्रम केवल अन्तर-संबंधित ही नहीं हैं अपितु धारा 4(3)(बी) के उप-खण्ड (iv) के तहत 'एक दूसरे के व्यवसाय में पारस्परिक हित' की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं।

यह भी बताया जाता है कि जब उपक्रमों को इतना संबंधित बताया जाता है कि उनका एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है, इस पर न तो अधिनियम और न ही नियम स्पष्टता प्रदान करता है।

हमने यह भी अवलोकन किया कि दो पार्टियों के बीच उनके अंत सम्बद्धित उपक्रमों के अलावा 'धारक तथा सहायक संबंध' की एक अतिरिक्त आवश्यकता का सम्मिलित करके, नियम 10(ए) ने अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से कम किया है। लेखापरीक्षा का मत है कि नियम विधिवत प्रस्तावित सांविधिक प्रावधानों में परिकल्पित कार्यक्षेत्र से अलग बन गया है। जहां पार्टियां 'अन्तःसम्बद्धित उपक्रम' हैं सहित किसी भी मामले जहां पार्टियों को संबंधित माना जाएं, मैं नियत अधिनियम था कि मूल्य को निर्दिष्ट रूप में निर्धारित किया जाएगा। संसद द्वारा धारक-सहायक संबंध जैसे एक अतिरिक्त मानदण्ड को पूरा न करने के अन्त सम्बद्धित उपक्रमों के संदर्भ में कोई अपवाद नहीं बनाया था, निर्धारण योग्य मूल्य लेन-देन मूल्य सामान्य

लेन-देन मूल्य होगा। वास्तव में, नियम 10(ए) के प्रभाव को इस तथ्य में स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि यह समग्र रूप से धारा 4(3) (बी) (i) के अस्तित्व और अधिनियम की धारा 4(3) की व्याख्या में अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों की विस्तृत परिभाषा को निष्प्रभावित/अप्रासंगिक करता है। नियम 10 अपेक्षा करता है कि या तो दो पार्टियों को धारक कम्पनी/ सहायक कम्पनी संबंधों को साझा करना चाहिए या उन्हें धारा 4(3) (बी) के अन्तर्गत अन्य तीन उपखण्डों में से एक के अनुसार मानदण्डों को पूरा करना चाहिए।

हम बल देते हैं कि 'धारक और सहायक संबंधता' की अतिरिक्त आवश्यकता को प्रारंभ करने के साथ धारा 4(3) (बी) के उपखण्ड (iv) के उद्देश्यों के हित की पारस्परिकता को बनाने वाले संबंधित स्पष्ट प्रावधानों के अभाव से वास्तव में संसद द्वारा परिकल्पित न्यूनतर मूल्य पर कर भुगतान हेतु कुछ अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों के लिए साद्यन उपलब्ध कराएं।

यहां यह भी उल्लेख करना है कि जुलाई 2000 तक जब संशोधित धारा 4 प्रारंभ की गई थी, 'संबंधित व्यक्ति' का तात्पर्य निर्धारिती से संबंधित उस व्यक्ति से है जिनका एक दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है और इसमें धारक कम्पनी, सहायक कम्पनी, निर्धारिती का संबंधी और वितरक और ऐसे वितरक का कोई उपवितरक शामिल है। इस प्रकार वास्तव में नियम 10 'संबंधित व्यक्ति' की पिछली परिभाषा को दोहराने/पुनः बताने को प्रभावित करता है।

सिफारिश संख्या 5

(क) मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत निर्धारण) नियमावली के नियम 10 की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह अधिनियम में परिकल्पित न होने वाले 'धारक तथा सहायक संबंध' की एक अतिरिक्त आवश्यकता पर प्रभाव डालती है।

(ख) जैसा कि विधि में "अन्तर सम्बन्धित उपक्रम" "समूह", "सम्बन्धित व्यक्ति", "समान प्रबन्धन के अन्तर्गत" शब्दों की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार अधिनियम की धारा 4(3) (बी) के खण्ड (iv) के उद्देश्य के लिए क्या

“एक दूसरे के कारबार में हितों की पारस्परिकता” बनाएगा को दर्शाने वाले स्पष्ट प्रावधानों को प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

3.1.2 धारा 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (जी) में परिकल्पना की गई है कि यदि कोई उपक्रम या तो प्रत्यक्ष रूप में अथवा कई उपक्रमों के माध्यम से जो अन्तर संबंधित उपक्रम है, दूसरे उपक्रमों से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों उपक्रम भी अधिनियम की धारा 4(3) (बी) (i) के उद्देश्य से अन्तः संबंधित उपक्रम होंगे।

औरंगाबाद कमिश्नरी में, मै. एसएआईपीएल के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि कम्पनी यात्री कारों का विनिर्माण करती है जो केवल मै. वीजीएसआईपीएल के माध्यम से बेची गई थी। मैसर्स एसएआईपीएल मै. वोक्सवैगन एजी की सहायक कम्पनी के बदले में मै. स्कोडा ए.एस. की एक सहायक कम्पनी है। मै. वोक्सवैगन एजी की अन्तिम नियंत्रक कम्पनी मै. पोर्सच आटोमोबाइल होल्डिंग एसई है जो दूसरी विदेशी कम्पनी है (50 प्रतिशत शेयरों से अधिक सहित)। मै. पोर्सच आटोमोबाइल होल्डिंग एसई मै. वोक्सवैगन इन्टरनेशनल फाइनैस एनवी के लिए भी अन्तिम नियंत्रक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त मै. वोक्सवैगन एजी ग्लोबल आटोमोटिव सीवी में 99.9 प्रतिशत शेयर की धारक है जो वोक्सवैगन इन्टरनेशनल फाइनैस एनवी के 100 प्रतिशत शेयरों की धारक है तथा जो बदले में मै वीजीएसआईपीएल के 99 प्रतिशत से अधिक शेयरों की धारक है।

इस प्रकार 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (जी) के द्वारा, मै. एसएआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल भी अन्तः संबंधित उपक्रम होगी क्योंकि पहली दूसरी से अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अन्तः संबंधित उपक्रमों के माध्यम से जुड़ी हुई है।

इसलिए, अधिनियम की धारा 4 के उद्देश्य से मै. वीजीएसआईपीएल द्वारा माल के लिए वसूली गई कीमत मै. एसएआईपीएल द्वारा विनिर्मित ऑडी एवं वोक्सवैगन कारों की कीमत होनी चाहिए। हमने देखा कि मै. वीजीएसआईपीएल ने अपने डीलरों के माध्यम से बेची गई ऑडी कार के सम्बन्ध में प्रत्येक कार के खुदरा बिक्री मूल्य में 9.5 प्रतिशत तथा वोक्सवैगन कारों के संबंध में 6 प्रतिशत का मार्जिन शामिल किया था। निर्धारण योग्य

मूल्य में उपरोक्त मार्जिन राशि को शामिल न करने के परिणामस्वरूप 121.45 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमने इसे फरवरी 2014 में बताया था।

इस तर्क को स्वीकार करते समय कि दो उपक्रम अन्तः संबंधित उपक्रम हैं, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 का नियम 10 लागू नहीं है क्योंकि इस मामले में नियम 10(ए) की चारों शर्तों में से एक भी पूरी नहीं होती है।

तथापि, यह दोहराया गया था कि मै. एसएआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल अन्तः संबंधित उपक्रम है जैसा कि ऊपर धारा 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (जी) द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 का नियम 10 पैराग्राफ 3.1.1 में चर्चा किये गये समान आधारों पर लागू होगा।

3.2 कीमत समझौते पर शुल्क का भुगतान ना करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के स्पष्टीकरण में अन्य बातों के साथ साथ परिकल्पना की गई है कि एक निर्धारिती द्वारा बेचे गए उत्पाद शुल्क योग्य माल के शुल्क सहित मूल्य में अतिरिक्त प्रतिफल, यदि कोई है, जो ऐसे माल की बिक्री के सम्बन्ध में क्रेता से निर्धारिती की ओर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाह होता है, का राशि मूल्य शामिल होगा।

पुणे-III कमिश्नरी में मै. फिएट इण्डिया आटोमोबाइल्स लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए 'मान्जा' ब्राण्ड की कारें विनिर्मित की थी। 2012 के मई एवं जून माह के दौरान, निर्धारिती ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए उपरोक्त मॉडलों के मूल्य समझौते के प्रति मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड से डेबिट नोटस उदभूत किए थे। लेन देन मूल्य के प्रति 93.54 करोड़ की राशि के इस डेबिट नोट

को शामिल ना करने के परिणामस्वरूप ` 21.44 करोड़ के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हमने सितम्बर 2013 में इसे बताया था।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि डीजीसीईआई, मुम्बई ने मार्च 2013 में जब्त किये गए दस्तावेजों के आधार पर बृहत मूल्यांकन मुद्दों पर जाँच पड़ताल की थी। 2009-14 की अवधि को कवर करते हुए। जून 2014 में ` 335.33 करोड़ के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा शुल्क की उपरोक्त मांग में सीईआरए द्वारा बताए गए डेबिट नोट के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिफल शामिल है।

3.3 अतिरिक्त प्रतिफल को शामिल न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(ए) में अनुबंध किया जाता है कि जब किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उत्पाद शुल्क इसके मूल्य के संदर्भ में प्रभारित किया जाता है। तब ऐसा मूल्य 'लेन देन मूल्य' को प्रभार्य होगा जिसमें ऐसे माल की बिक्री से संबंधित क्रेता की ओर से निर्धारिती को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाह होने वाला अतिरिक्त प्रतिफल यदि कोई है, शामिल होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 के नियम 6 में अनुबंध किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य एक मात्र प्रतिफल नहीं है, वहाँ निर्धारण योग्य मूल्य, मूल्य तथा क्रेता से निर्धारिती को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त प्रतिफल के धन मूल्य के योगफल पर आधारित होगा। मै. सुपर सिनोटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड¹⁶ में 28 फरवरी 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक बिक्री कर का वास्तविक रूप से भुगतान राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग को नहीं कर दिया जाता, तब तक 'लेन देन मूल्य' की अवधारणा के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के प्रति कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

¹⁶ 2014 (301) ईएलटी 273 (एससी)

3.3.1 मुम्बई-एलटीयू कमिश्नरी में मै. बजाज ऑटो लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने आस्थगित बिक्री कर अभिलाभों के कारण 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ` 826.82 करोड़ तथा ` 68.95 करोड़ की एक राशि प्राप्त की थी। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारण योग्य मूल्य निर्धारित करते समय इस प्रकार संग्रहण की गई परन्तु सरकार को भुगतान न की गई बिक्री कर की राशि को प्रतिफल माना जाना था। इसे शामिल न करने के परिणामस्वरूप ` 103.02 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

हमने इसके बारे में जुलाई 2013 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर तथा दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के विभागीय अनुदेशों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

3.3.2 समान रूप से पुणे-III कमिश्नरी में मै. फिएट (आई) ऑटोमोबाईल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आस्थगित बिक्री कर अभिलाभों के प्रति 2010-11 से 2012-13 के दौरान ` 841.98 करोड़ प्राप्त किये थे जिसके परिणामस्वरूप ` 89.72 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

हमने इसके बारे में सितम्बर 2013 में बताया था।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मई 2009 से जून 2014 की अवधि के लिए जून 2014 में ` 238.14 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

3.4 सहयोगी कम्पनियों को बेचा हुआ माल

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 के नियम 8 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 में निर्धारित किया जाता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल का उपयोग निर्धारिती द्वारा खपत अथवा उसकी तरफ से अन्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण के लिए हुआ है, वहाँ मूल्य ऐसे माल के उत्पादन अथवा विनिर्माण की लागत का एक सौ दस

प्रतिशत होगा। बोर्ड ने दिनांक 13 फरवरी 2003 के अपने परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में सीमित रूप से खपत किये गये माल के उत्पादन की लागत, लागत लेखांकन मानक 4 (सीएस-4) के अनुसार कड़ाई से गिनी जाएगी।

3.4.1 हमने पुणे-। कमिश्नरी में मैं मैं बॉश चेसिस सिस्टम्स इण्डिया लिमिटेड के अभिलेखों से पता लगाया कि निर्धारिती ने 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मानेसर, सितारगंज तथा जलगाँव में स्थित अपनी सहयोगी इकाईयों को माल बेचा था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बीजकों की जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने जनवरी 2012 से जुलाई 2012 तक की अवधि के लिए सीएस-4 मूल्यांकन के अनुसार शुल्क का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ` 15.30 लाख (ब्याज को छोड़कर) के शुल्क का कम भुगतान हुआ। जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए विभेदक शुल्क भी भुगतान योग्य होगा जिसके लिए इस अवधि हेतु सीएस-4 मूल्यांकन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना था।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने फरवरी एवं मार्च 2014 के दौरान `46.04 लाख के शुल्क एवं ब्याज का भुगतान किया है।

3.4.2 चार कमिश्नरियों के अन्तर्गत अन्य निर्धारितियों के 11 मामलों में, 2010-11 से 2012-13 के दौरान उनकी सहयोगी इकाईयों को उत्पाद शुल्क योग्य माल मंजूर किया गया था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि इन इकाईयों द्वारा सीएस-4 तैयार/अद्यतित नहीं किया गया था। अतः लेखापरीक्षा शुल्क के कम भुगतान की गणना नहीं कर सकता।

हमने मई 2013 तथा मार्च 2014 के बीच इसे बताया।

विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार किया (मई -जून 2014) तथा छः मामलों में ` 19.83 लाख की वसूली की सूचना दी।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.5 डेमो कारों का कम मूल्यांकन

बोर्ड के दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के परिपत्र के अनुसार, डेमो कारों पर भुगतान योग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समान सामान्य कारों पर भुगतान किये गए शुल्क के बराबर होगा।

चेन्नई-11। कमिश्नरी में मै. हिन्दुस्तान मोटर्स इण्डिया लिमिटेड (एचएमआईएल) अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाली यात्री कारों के विनिर्माण में लगा हुआ है। बीजको एवं कारों की मूल्य सूची की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने डेमों उद्देश्यों के लिए सामान्य मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर अपने डीलरों को कारें बेची थी। एचएमआईएल द्वारा डेमो कारों के लिए कारों के सामान्य मूल्य को ना अपनाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान ` 28.92 लाख का कम मूल्यांकन हुआ और ` 6.89 लाख के शुल्क का परिणामी कम भुगतान हुआ।

हमने जुलाई 2013 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

अध्याय 4: सेनवेट क्रेडिट

एक विनिर्माता/सेवा संभरक अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में पूँजीगत माल जैसे संयंत्र एवं मशीनरी, इनपुट जैसे कच्चा माल एवं इनपुट सेवाओं जैसे सुरक्षा सेवाएं, प्रबन्धन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवाओं इत्यादि का उपयोग करता है। इन तीन मदों में से किसी पर भुगतान किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर सेनवेट क्रेडिट खाते में क्रेडिट किया जाता है। संचित क्रेडिट तैयार माल/आउटपुट सेवाओं पर शुल्क/कर भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है जो कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि इनपुटों पर केवल एक बार कर लगाया गया है।

इस लेखापरीक्षा के दौरान, हमने ` 6.74 करोड़ के शुल्क प्रभाव के साथ सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति के 144 मामले देखे। इन मामलों में से 72 में मंत्रालय/विभाग हमारी आपत्तियों से सहमत हुआ था जिनमें ` 3.50 करोड़ का शुल्क शामिल था एवं 70 मामलों में ` 3.33 करोड़ वसूल किये गए। हमने निम्नलिखित पैराग्राफों में ऐसे कुछ मामलों को दर्शाया है।

4.1 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(1) उत्पाद एवं सेवा कर के शुल्कों को विनिर्दिष्ट करता है जो विनिर्माता अथवा सेवा संभरक द्वारा सेनवेट क्रेडिट के रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। मूल सीमा शुल्क का क्रेडिट प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 में सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति तथा उपयोग के लिए ब्याज की वसूली के लिए प्रावधान किया गया है।

हमने नासिक कमिश्नरी में, अध्याय 87 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क योग्य माल के एक विनिर्माता मै. जे.पी. इन्टरप्राइजेज के इनपुट सेनवेट क्रेडिट रजिस्ट्रों तथा बीजको से पता लगाया कि निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए ` 20.17 लाख के आयातित इनपुटों पर मूल सीमा शुल्क का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जो अस्वीकार्य है। इसके परिणामस्वरूप ` 20.17 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई।

हमने मार्च 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने मार्च 2014 में ` 4.64 लाख की शास्ति तथा ` 6.86 लाख के ब्याज सहित ` 20.17 लाख की एक राशि का भुगतान किया था।

4.2 सेनवेट क्रेडिट को वापस ना लौटाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5बी) के अनुसार, जहाँ इनपुट अथवा पूंजीगत माल के मूल्य को बढ़े खाते डालने हेतु कोई प्रावधान किया गया है, जिन पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, वहाँ विनिर्माता उक्त इनपुट/पूंजीगत, माल के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान करेगा। यदि उक्त इनपुट अथवा पूंजीगत माल को बाद में तैयार उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किया जा रहा है, तो विनिर्माता पहले भुगतान की गई राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

हमने देखा कि चेन्नैई-IV कमिश्नरी में मै. डाईमॉस लियर आटोमोटिव इण्डिया प्रा. लिमिटेड (इकाई II), जो आटोमोबाईल सीटों की विनिर्माता है, ने इनपुट, पूंजीगत माल तथा इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था तथा इसका उपयोग अपने तैयार उत्पाद पर शुल्क के भुगतान के लिए किया था। निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के लिए खातों में ` 1.73 करोड़ राशि की खराब माल सूची के मूल्य को बढ़े खाते डालने के लिए एक प्रावधान बनाया था। निर्धारिती ने लिए गए सेनवेट क्रेडिट को लौटाए बिना ही मालसूची के कुल मूल्य से उक्त राशि की कटौती की थी।

हमने दिसम्बर 2013 में ` 21.40 लाख के सेनवेट क्रेडिट के ना लौटाने को दर्शाया था।

मंत्रालय ने निर्धारिती द्वारा ब्याज सहित ` 23.50 लाख लौटाने की सूचना दी (अक्टूबर 2014)।

4.3 अयोग्य पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का प्राप्त करना

बोर्ड ने दिनांक 8 जुलाई 2010 के अपने अनुदेशों में स्पष्ट किया कि पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट केवल उन मदों पर उपलब्ध है जो सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के अन्तर्गत पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत कवर किया

गया उत्पाद शुल्क योग्य माल है तथा विनिर्माता की फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है। 'पूंजीगत माल' को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ए) में परिभाषित किया गया है।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. अर्थव फाऊनड्रीज प्रा.लि. जो अध्याय 87 की वस्तुओं के विनिर्माण में लगी है, ने 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान एमएस चैनल, एमएस एंगल तथा एचआर कोईल जैसे मर्दों को पूंजीगत माल के रूप में मानते हुए उन पर ` 10.94 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि ये मर्दें पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत कवर नहीं की गई है, इसलिए ` 10.94 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं था तथा लौटाने योग्य था।

हमने जून 2013 में इसे बताया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि ` 10.94 लाख के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

4.4 पुरानी मशीनरी को बेचने पर सेनवेट क्रेडिट का कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए) में प्रावधान किया गया है कि यदि पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, उपयोग करने के बाद हटा दिया गया है, तो विनिर्माता अथवा आउटपुट सेवाओं का संभरक सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही अथवा उसके भाग के लिए उक्त पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के समान राशि से 2.5 प्रतिशत घटाते हुए राशि का भुगतान करेगा। यद्यपि, यदि ऐसी परिकलित राशि लेन-देन मूल्य पर लगाये गये शुल्क से कम है, देय राशि लेन-देन मूल्य पर लगाये गये शुल्क के बराबर होगी।

4.4.1 लुधियाना कमिश्नरी में, ऑटो पुर्जे/मोटर वाहन पुर्जे के उत्पादन से जुड़ा मैसर्स मेजेस्टिक ऑटो लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने लेन-देन मूल्य पर लगाये गये ` 158.03 लाख की बजाय ` 113.77 लाख के उत्पाद शुल्क के भुगतान द्वारा, वर्ष 2012-13 के दौरान

मैसर्स मेजेस्टिक ऑटो लिमिटेड, नोएडा को ` 12.79 करोड़ की उपयोग की गई मशीनरी स्थानांतरित की। इसके परिणामस्वरूप ` 44.26 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हमने मार्च 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने आपत्ति का विरोध यह कहते हुये (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती ने उच्चतर शुल्क का भुगतान किया होता, अन्य इकाई ने उच्चतर क्रेडिट का लाभ उठाया होता और पूर्ण अभ्यास निष्पक्ष होता। मंत्रालय ने भुगतान के समर्थन में कुछ अधिकरण निर्णयों का भी उदाहरण दिया जैसा कि निर्धारिती¹⁷ द्वारा प्रमाणित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के 3(5ए)(ए)(ii) के प्रावधान के अनुसार यदि परिकलित की गई राशि लेनदेन मूल्य पर लगाये गये शुल्क से कम है, लेनदेन मूल्य पर लगाये गये शुल्क के बराबर होगा। यह भी बताया गया कि सीबीईसी ने समान स्थिति में निर्धारिती के साथ-साथ निर्णय देने वाले अधिकारी के प्रमाणित अधिकरण निर्णयों के आधार पर कोई निर्देश जारी नहीं किये थे।

4.4.2 गुडगांव कमिश्नरी में, मोटर वाहनों के अतिरिक्त सामान और पुर्जे के उत्पादन से जुड़े, मैसर्स रीको ऑटो इंडस्ट्रीज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दिसम्बर 2012 में अग्नि से दुर्घटना हुई थी, जिसमें ` 4.27 करोड़ की कीमत के संयंत्र और मशीनरी नष्ट हुई। हमने देखा कि उस पर ` 44.55 लाख का सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। निर्धारिती ने नष्ट हुये संयंत्र और मशीनरी पर एक करोड़ का बीमा दावा प्राप्त किया था। यद्यपि, निर्धारिती ने अधिष्ठापन की तिथि से आग से बर्बादी की तिथि तक प्रयोग किये प्रति तिमाही के लिये प्रयोग किये गये क्रेडिट के 2.5 प्रतिशत पर अनुमत कटौती की अनुमति के बाद ` 10.80 लाख का अनुपातिक क्रेडिट का भुगतान नहीं किया।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

¹⁷ आईडियल कंपोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई {2009 (244) इएलटी 589} और वोल्फ्रा टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई {2012 (284) इएलटी 89}

मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि ` 10.80 लाख के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना है।

4.5 अस्वीकार्य इनपुट सेवा पर सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2 (I) के अनुसार 'इनपुट सेवा' में अन्य बातों के साथ-साथ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अंतिम उत्पाद के उत्पादक से संबंधित या में उत्पादक द्वारा प्रयोग की गई, कोई भी सेवा और स्थानांतरण तक अंतिम उत्पाद का भुगतान शामिल है और कारखाने के स्थापन आधुनिकीकरण, नवीकरण या मरम्मत, आउटपुट सेवा प्रदान करने वाले के परिसर या ऐसे कारखाने या परिसर से संबंधित कार्यालय, विज्ञापन, बिक्री संवर्धन, बाजार अनुसंधान, स्थानांतरण तक भण्डारण, इनपुटों की खरीद, व्यापार से संबंधित गतिविधियां जैसे, लेखांकन लेखापरीक्षण, वित्त, भर्ती और गुणवत्ता नियंत्रण, कोचिंग और प्रशिक्षण, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट दर, शेयर रजिस्ट्री और सुरक्षा, इनपुट या पूँजीगत माल का आवक परिवहन और स्थानांतरण तक जावक परिवहन से संबंधित सेवार्यें शामिल हैं।

4.5.1 जयपुर-। कमिश्नरी में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के उत्पादन से जुड़े मैसर्स टोयोडा गोसाईं मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स विस्टियोन क्लाइमेट सिस्टमस इंडिया लिमिटेड ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान जावक मालभाड़ा पर ` 1.46 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया और उपरोक्त राशि पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। जावक मालभाड़ा प्रभार इनपुट सेवा के लिये वांछनीय नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ` 1.46 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि मैसर्स टोयोडा गोसाईं मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पूरी राशि जमा कराई। इसके अतिरिक्त, मैसर्स विस्टियोन क्लाइमेट सिस्टमस इंडिया लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

4.5.2 नोएडा कमिश्नरी में, मैसर्स इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के सेनवेट क्रेडिट अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अपनी इकाई के लिये किराये, मरम्मत कार्य और रखरखाव कार्य के लिये किये गये भुगतान पर `18.72 लाख के सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। किराया, मरम्मत और रखरखाव कार्य उत्पादन कार्य से संबंधित नहीं थे और निर्धारिती के परिसर से भी संबंधित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप `18.72 लाख सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमने इसे बताया (जनवरी 2014), मंत्रालय/विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (अक्टूबर 2014) है।

4.5.3 सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ के अन्य मामले

उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त, हमने देखा कि निर्धारिती ने निम्नलिखित मामलों में अनियमित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया:

तालिका संख्या 10

सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने वाले निदर्शी मामले

| निर्धारिती का नाम | कमिश्नरी | अवधि | सीईआरए द्वारा देखे गये अनियमित सेनवेट क्रेडिट लाभ | मंत्रालय/विभाग का उत्तर |
|---|---------------|--------------------|---|---|
| मैसर्स सनबीम ऑटो प्राइवेट लि. | जयपुर-I | 2011-12 से 2012-13 | `18.08 लाख | मंत्रालय ने `17.91 लाख की राशि की क्रेडिट वापसी सूचित की (अक्टूबर 2014)। |
| मैसर्स गेस्टएम्प ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लि. | पुणे-I | 2012-13 | `5.56 लाख | मंत्रालय ने जुर्माने सहित `6.16 लाख की वसूली सूचित की (अक्टूबर 2014)। |
| मैसर्स एलिकॉन केस्टालोरी प्राइवेट लि. | पुणे-III | 2011-12 से 2012-13 | `8.65 लाख | मंत्रालय ने ब्याज और जुर्माने सहित `13.07 लाख की वसूली सूचित की (अक्टूबर 2014)। |
| मैसर्स शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लि. | दिल्ली-एलटीयू | 2010-11 से 2012-13 | `37.64 लाख | मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती ने `10.00 लाख का आंशिक भुगतान कर दिया है। |
| मैसर्स मिंडा कॉरपोरेशन लि. | नोएडा | 2010-11 | `17.93 लाख | मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। |

4.6 इनपुट सेवा क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार 'इनपुट सेवा' का अर्थ है अंतिम उत्पाद और निपटान के उत्पादन से संबंधित या में तत्संबंधी स्थानान्तरण तक उत्पादक द्वारा प्रयोग की गई कोई भी सेवा। प्रति प्रभार प्रक्रिया के अंतर्गत, कुछ सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रायोजन सेवा शामिल है, सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी) में निहित प्रावधान के अनुसार कर के भुगतान का उत्तरदायी है।

4.6.1 पुणे । कमिश्नरी में मैसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्धारिती ने विभिन्न संस्था से प्रयोजन सेवा प्राप्त की थी जिसके लिये निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया था। अकुरदी में स्थिति इकाई ने सेवा देयता निर्वहन की और इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया। हमने देखा कि निर्धारिती की देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वाहन जैसे ट्रेलर, टेम्पो, ट्रेक्टर आदि के उत्पादन की एक से अधिक इकाई है। क्योंकि प्रायोजन सेवा पूर्ण रूप से कंपनी के लिये की गई थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी पूरी कंपनी के लिये प्रयोग की गई थी, केवल अकुरदी इकाई द्वारा सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना उचित नहीं था। निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान प्रायोजन सेवा पर ` 13.12 लाख के इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया। अकुरदी इकाई के लिये इनपुट सेवा क्रेडिट केवल ` 1.89 लाख बनता है। इसके परिणामस्वरूप ` 11.23 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

हमने फरवरी 2014 में इसे बताया।

आपत्ति को स्वीकार करते हुये, मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि ` 12.30 लाख के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

4.6.2 दिनांक 16 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अंतर्गत उद्ग्राह्य सेवा कर के जितना, जोकि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत तकनीक के कथित स्थानान्तरण पर भुगतान किये गये उपकर की राशि के बराबर है से तकनीक

के स्थानांतरण पर परामर्शी इंजीनियर द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं में छूट प्रदान करती है।

गुडगांव कमिश्नरी में, मैसर्स मिस्तुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने 2010-11 से 2011-12 की अवधि के दौरान ` 5.93 करोड़ के मूल्य पर रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क पर ` 61.20 लाख के सेवा कर का भुगतान किया और पूरी राशि पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। हमने देखा कि निर्धारिती द्वारा ` 61.20 लाख में से ` 28.40 लाख आर और डी उपकर के प्रति जमा किये थे। इसलिये, दिनांक 16 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना के अनुसार आर और डी उपकर राशि को घटाये बिना पूर्ण क्रेडिट लाभ उठाने के परिणामस्वरूप ` 28.40 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

हमने फरवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

4.7 सेल्स एजेंटों को दिये गये कमीशन से संबंधित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार, बिक्री संवर्धन इनपुट सेवा की परिभाषा में शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय गुजरात ने मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के मामले में निर्णय दिया कि माल की बिक्री के लिये कमीशन एजेंट को दिये गये कमीशन पर भुगतान किये गये सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट इनपुट सेवा क्रेडिट¹⁸ के लिये अनुचित है। कमीशन एजेंट वह व्यक्ति है जो माल की खरीद और बिक्री से संबंधित है और बिक्री संवर्धन से नहीं। इसलिये, सेल्स कमीशन का कार्य “इनपुट सेवा” परिभाषा में बिक्री संवर्धन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता।

¹⁸ {2013 (30) एसटीआर 3(गुजरात)}

हमने निम्नलिखित उदाहरण देखे जहां सेल्स कमीशन पर/कमीशन एजेंट को भुगतान किये गये सेवा कर के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। हमने यह बताया कि इसे ब्याज सहित वापस किया जाना था।

तालिका संख्या 11

सेल्स एजेंटों को दिये गये कमिशन से संबंधित निदर्शी मामले

| निर्धारिती का नाम | कमिशनरी | अवधि | सीईआरए द्वारा देखे गये अनियमित रूप से लाभ उठाये गये सेनवेट क्रेडिट | मंत्रालय/विभाग का उत्तर |
|--|---------------|--------------------|--|---|
| मैसर्स मैनी मेटेरियलस मुवमेंट प्राइवेट लि. | बैंगलुरु-1 | 2011-12 से 2012-13 | ` 5.33 लाख | मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। |
| मैसर्स रेमसंस इंस्ट्रीज लि. | दमन | 2010-11 से 2012-13 | ` 10.76 लाख | मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। |
| मैसर्स सीलटाइट डिचटंगस प्राइवेट लि. | बैंगलुरु-1 | 2012-13 | ` 2.55 लाख | मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती ने आपत्ति के साथ ब्याज सहित ` 3.41 लाख का अनियमित सेनवेट क्रेडिट वापस किया। |
| मैसर्स होंडा कार्स (इंडिया) लि. | दिल्ली-एलटीयू | 2010-11 से 2012-13 | ` 4.72 लाख | विभाग ने उत्तर दिया (मई 2014) कि सेल्स कमीशन पर सेवा कर का क्रेडिट विषय पर वित्त अधिनियम में दी गई 'व्यापार सहायक सेवा' की और 'कमीशन एजेंट' की परिभाषा और कर अनुसंधान इकाई (टीआरयू) द्वारा दिये गये विशिष्ट स्पष्टीकरण की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये देय है। लेखापरीक्षा टिप्पणी: गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | रखते हुये उत्तर स्वीकार्य नहीं है। |
|--|--|--|--|------------------------------------|

4.8 छूट प्राप्त सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुसार, जहां एक उत्पादक शुल्क देय के साथ-साथ छूट प्राप्त माल का उत्पादन करता है, छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिये प्रयोग की गई इनपुट सेवा के प्रयोग और प्राप्ति के लिये बनाये गये लेखे अलग-अलग अनुरक्षित होंगे। वैकल्पिक रूप से, उत्पादक या सेवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट नियमावली के 2004 के नियम 6(3) के अनुसार राशि का भुगतान करेगा। सेनवेट क्रेडिट नियमावली का नियम 2(ई) जो कि 1 अप्रैल 2011 को संशोधित है बताता है कि 'छूट प्राप्त सेवा' में ट्रेडिंग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्पष्टीकरण 1(सी) से नियम 6(3ए) के अनुसार, ट्रेडिंग के मामले में, 'छूट प्राप्त सेवा' का मूल्य ट्रेडिंग किये गये माल के बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर होगा या बेचे गये माल की कीमत का दस प्रतिशत, जो भी अधिक है।

4.8.1 नागपुर कमिश्नरी में मैसर्स सविता ऑटो इंडस्ट्रीज के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती अन्य कार्यों के साथ-साथ ट्रेडिंग कार्य करता है। निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क योग्य माल के उत्पादन के साथ-साथ माल की ट्रेडिंग दोनों के लिये प्रयोग किये गये सामान्य इनपुट सर्विस जैसे सुरक्षा, परिवहन, कंप्यूटर रखरखाव आदि पर सेनवेट क्रेडिट का भी लाभ उठाया। यह 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान 59.72 लाख की राशि के बराबर हुई। निर्धारिती ने नियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अलग-अलग लेखे अनुरक्षित नहीं किए थे। क्योंकि ट्रेडिंग छूट प्राप्त सेवा है, निर्धारिती छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने के लिये प्रयोग की गई इनपुट सेवा के सेनवेट क्रेडिट लाभ उठाने के लिये पात्र नहीं था और शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार (अक्टूबर 2014) किया।

हमें आगे की प्रगति (अक्टूबर 2014) की प्रतीक्षा में है।

4.8.2 इसी प्रकार, नोएडा कमिश्नरी में, मैसर्स इंडिया यामाहा मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड दुपहिया वाहनों के साथ-साथ उनकी ट्रेडिंग से जुड़ा था। 2011-12 और 2012-13 के दौरान, निर्धारित ने उत्पादन और ट्रेडिंग कार्य के लिये सामान्य इनपुट सेवा का लाभ उठाया लेकिन अलग-अलग लेखे नहीं बनाये। क्योंकि ट्रेडिंग छूट प्राप्त सेवा है, निर्धारित छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने के लिये प्रयोग की गई इनपुट सेवा का सेनवेट क्रेडिट लाभ उठाने का पात्र नहीं था और शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था।

प्रमाणीकरण के लिये पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान न किये जाने को परिमाणित नहीं कर सकी।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया। हमें मंत्रालय के उत्तर (अक्टूबर 2014) की प्रतीक्षा है।

4.9 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4) के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट उस अवधि से संबंधित शुल्क या कर के भुगतान के लिये महीने या तिमाही जैसा भी मामला हो, के अंतिम दिन में उपलब्ध केवल ऐसी क्रेडिट की सीमा तक उपयोग होगी। दिनांक 28 मार्च 2012 का बोर्ड का परिपत्र स्पष्ट करता है कि उपरोक्त नियम प्रावधान देय तिथि के बाद शुल्क के सामान्य भुगतान के लिये उपयुक्त हैं।

4.9.1 गुडगांव कमिश्नरी में, मैसर्स एमएंडएम मशीन क्राफ्ट लिमिटेड के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारित ने संबंधित अवधि के बाद अर्जित सेनवेट क्रेडिट के उपयोग से 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिये पूरक बीजकों के जारी करने के कारण ` 37.42 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। संबंधित माह के लिये उपलब्ध सेनवेट क्रेडिट का वास्तविक बीजक जारी करते समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के समय पहले ही उपयोग कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ` 37.42 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग हुआ।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2014) किया कि निर्धारिती को `42.42 लाख के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

4.9.2 चेन्नई IV कमिश्नरी में मैसर्स नाटेसन सिंक्रोकोन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 31 जुलाई 2012 का दोहरे क्रेडिट के कारण `7.58 लाख के अधिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और जुलाई 2012 के माह के लिये शुल्क के भुगतान के प्रति `6.77 लाख की राशि का उपयोग किया। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने इस गलती को बताया और निर्धारिती ने 15 मार्च 2013 को सेनवेट खाते में `7.58 लाख की राशि वापस की और ब्याज के प्रति `0.12 लाख का भुगतान किया।

चूँकि `6.77 लाख का अधिक सेनवेट क्रेडिट शुल्क भुगतान के लिये निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग कर लिया गया था, `6.77 लाख की राशि का नकद द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये और न कि सेनवेट खाते में वापस। इसके परिणामस्वरूप `6.77 लाख का अनियमित उपयोग हुआ।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया।

मंत्रालय ने आपत्ति का यह कहते हुए विरोध किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने अतिरिक्त क्रेडिट वापस किया जब आंतरिक लेखापरीक्षा में गलती बताई गई और केन्द्रीय उत्पाद नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अनुसार उत्पाद शुल्क के भुगतान में कोई चूक नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कि हमारी लेखापरीक्षा आपत्ति यह थी कि निर्धारिती ने दो बार क्रेडिट नहीं लिया होता, तो `6.77 लाख के शुल्क को समायोजित करने के लिये जुलाई 2012 के अंत में पर्याप्त क्रेडिट नहीं होता।

अध्याय 5: अन्य रूचिकर मामले

5.1 अनुपालन मामलों से संबंधित सेवा कर

5.1.1 सेवाओं का आयात

वित्त अधिनियम, 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व) की धारा 66ए और सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1) (डी) (जी) में परिकल्पित किया गया है कि जहां कोई सेवा ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसने भारत को छोड़कर विदेश में/करयोग्य क्षेत्र से बाहर कारबार स्थापित किया है, जिसे भारत/करयोग्य क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया, वहाँ सेवा प्रापक उपलब्ध कराई गई किसी करयोग्य सेवा के संबंध में सेवा कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

(i) दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. जीकेएन ड्राइवलाइन (आई) लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 वर्षों के लिए निर्धारिती के तुलन पत्र क्रमशः ` 1.42 करोड़, ` 1.37 करोड़, और ` 2.66 करोड़ के व्ययों की प्रतिपूर्ति को दर्शाते हैं। हमने पाया कि व्ययों की प्रतिपूर्ति में मै जीकेएन ड्राइव लाइन कोरिया लिमिटेड, दक्षिण कोरिया के श्री दयोंग वू जंग और मै. जीकेएन ऑटोमाटिव लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम के श्री राज कालरा के प्रभार शामिल थे जोकि सहायक के अन्तर्गत ठेका आधार पर निर्धारिती के लिए कार्य कर रहे थे। तथापि, निर्धारिती ने विदेशी कम्पनियों को किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति पर ` 61.56 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

(ii) जमशेदपुर, कमिश्नरी में मै. टाटा कुमिन्स लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के लिए मै. कुमिन्स इन्क, यूएसए को अदा की गई रायल्टी के प्रति क्रमशः ` 28.95 करोड़ एवं ` 17.12 करोड़ की राशि की सेवाओं के सकल

मूल्य के लिए विपरीत प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान किया था। तथापि, चूंकि निर्धारिती ने रॉयल्टी के प्रति 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान ट्रायल शेष में ` 30.38 करोड़ और ` 17.98 करोड़ को दर्शाया था जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो ` 25.26 लाख था (` 2.28 करोड़ की विभेदक राशि पर संगणित किया गया)।

हमने जनवरी 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

5.1.2 निदेशकों को पारिश्रमिक पर सेवा कर

अधिसूचना, दिनांक 7 अगस्त 2012 के माध्यम से यथा संशोधित अधिसूचना, दिनांक 20 जून 2012 के अनुसार सेवा कर कथित कम्पनी को कम्पनी के निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा या उपलब्ध कराए जाने पर सहमति के संबंध में लागू दरों (विपरीत तंत्र आधार पर) पर उदग्राह्य हैं।

तीन निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्धारितियों ने लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि के अन्तर्गत अपने निदेशक (कों) को पारिश्रमिक का भुगतान किया था। तथापि, सेवा कर विवरणियों और संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कम्पनियों ने पारिश्रमिक भुगतान पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। हमने निष्कर्षों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है;

तालिका संख्या 12

निदेशकों को पारिश्रमिक पर सेवा कर संबंधी निदर्शी मामलों

| निर्धारिती का नाम | कमिश्नरी | अवधि | निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक | एसटी देयता* | मंत्रालय/विभाग का उत्तर |
|--------------------------------------|----------|---------|--|-------------|---|
| मै. सुप्रीम ट्रीव्स प्राइवेट लिमिटेड | दमन | 2012-13 | ` 5.49 करोड़ | ` 67.81 लाख | मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओं नोटिस का मामला प्रक्रियाधीन है। |
| मै. एशिया मोटर वर्क्स लिमिटेड | राजकोट | 2012-13 | ` 2.51 करोड़ | ` 31.05 लाख | मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि मामला जांच के अन्तर्गत है। |

| निर्धारिती का नाम | कमिश्नरी | अवधि | निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक | एसटी देयता* | मंत्रालय/विभाग का उत्तर |
|--------------------------------|----------|---------|--|-------------|---|
| मै. शिवम मोटर प्राइवेट लिमिटेड | रायपुर | 2012-13 | ₹ 1.55 करोड़ | ₹ 19.20 लाख | मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती को ₹ 19.20 लाख के लिए एससीएन जारी कर दिया गया है। |

* ब्याज और शास्ति छोड़ कर

5.1.3 माल परिवहन एजेंसी सेवाओं पर छूट की अनियमित प्राप्ति

अधिसूचना सं. 26 एसटी, दिनांक 20 जून 2012 में वित्त अधिनियम की धारा 66बी के अन्तर्गत देय सेवा कर के उद्देश्य के लिए प्रज्ञपत की गई सेवा के मूल्य पर कमी/छूट की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया है। छूट प्राप्त की गई ऐसी सेवाओं के प्रति यथा उल्लिखित शर्तों के अध्यक्षीन है। माल परिवहन एजेंसी सेवाओं (जीटीए) के मामले में सेवा के मूल्य के 75 प्रतिशत की छूट इस शर्त के अध्यक्षीन थी कि सेवा प्रदाता ने सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर योग्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया है।

(ii) जमशेदपुर कमिश्नरी में मै. जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान जीटीए सेवाओं पर ₹ 3.18 करोड़ की छूट प्राप्त की थी। चूंकि, निर्धारिती ने सेवा प्रदाताओं से सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति न होने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिखाया था इसलिए छूट प्राप्ति सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 39.26 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने इसके बारे में मार्च 2014 में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि यह मामला की संबंधित रेंज में जांच के अन्तर्गत है। कुछ सेवा प्रदाताओं ने क्रेडिट की प्राप्ति न होने के प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ii) नोएडा कमिश्नरी में मै. डेन्सो इंडिया लिमिटेड, ऑटो पार्ट्स के विनिर्माता, ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान जीटीए सेवाओं पर ` 2.06 करोड़ की छूट प्राप्त की थी। चूंकि, निर्धारितियों ने सेवा प्रदाताओं से सेनवेट क्रेडिट प्राप्त न करने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिखाया है, इसलिए छूट की प्राप्ति सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ` 25.40 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ था।

हमने इसके बारे में अप्रैल 2014 में बताया था।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि दिनांक 29 फरवरी 2008 के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त छूट अधिसूचना सेवा प्रदाता द्वारा छूट का दावा करने अर्थात् सेनवेट प्राप्त न करने के लिए पूर्ण अपेक्षित के रूप में शर्त रखती है। इसलिए, सेवा प्रदाता द्वारा प्रमाण की प्रस्तुति 1 जुलाई 2012 से छूट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है। इसके अलावा, मंत्रालय ने जमशेदपुर कमिश्नरी से प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों की चल रही जांच की पुष्टि की है।

5.1.4 आर एण्ड डी उपकर का अनियमित समायोजन

अधिसूचना, दिनांक 10 सितम्बर 2004 ने धारा 66 के अन्तर्गत भुगतान योग्य सेवा कर के प्रति भुगतान किए जानेवाले अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) उपकर के समंजन की अनुमति दी। जब तक अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर 2011 प्रभावी नहीं होगी तब तक उपकर की राशि का छूट के लाभ लिए जाने से पहले भुगतान किया जाना था। अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर 2011 में अनुबद्ध किया गया कि छूट अनुज्ञेय है यदि उपकर का बीजक की तारीख से या सहयोगी उद्यमों के मामले में लेखा बही में क्रेडिट की तारीख से छः माह के अन्दर भुगतान कर दिया गया हो।

चेन्नई III कमिश्नरी में मै. लक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने सेवा प्रदाता के रूप में भारत के बाहर की उनकी नियंत्रक कम्पनी और दूसरी सहयोगी कम्पनियों द्वारा दी गई

विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान कर दिया था। अक्टूबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान निर्धारिती ने उद्धृत प्रावधानों का अनुपालन किए बिना छूट के लाभ लेते हुए बौद्धिक सम्पदा सेवा पर अपनी सेवा कर देयाता का छोड़ दिया था। हमने ` 54.17 लाख के सेवा कर के परिणामी कम भुगतान के बारे में बताया।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि ` 4.22 लाख के ब्याज सहित ` 13.60 लाख की राशि अब तक वसूल की गई थी। शेष राशि के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है।

5.1.5 सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर 1 जून 2007 से अचल सम्पत्ति को किराए पर देने पर उदग्राह्य है। इसके अलावा, 1 जुलाई 2010 से वित्त अधिनियम, 1994 में जोड़ी गई धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेड) की व्याख्या (v) के अनुसार, “अचल सम्पत्ति” में खाली भूमि, कारबार या वाणिज्य के प्रोत्साहन के उपयोग करने हेतु बाद में इमारत या अस्थायी संरचना के निर्माण के लिए पट्टे या लाइसेंस पर दी गई भूमि शामिल है। इसके अलावा, जेएस (टीआरयू-II) पत्र सं. डी.ओ.एफ.सं. 334/1/2010-टीआरयू दिनांक 26 फरवरी 2010 के अनुबंध-बी के पैरा 10 के माध्यम से विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा कर खाली भूमि के किराए पर भी देय है यदि पट्टाकार और पट्टेदार के बीच यह करार या ठेका है कि ऐसी भूमि पर निर्माण पट्टे की अवधि के दौरान कारबार या वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए किया जाना है। फिर से यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के अनुसार सेवा कर उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि पर देय है। इस प्रकार, सेवा कर अग्रिम प्राप्त होते ही देय है।

हल्दिया कमिश्नरी में मै. महाभारत मोटर्स मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एमएमएमसीपीएल) कोलकाता एसटी कमिश्नरी में पंजीकृत थी क्योंकि यह अपने विनिर्माण गतिविधियों की सहित अचल सम्पत्ति सेवाओं को

किराए पर दे रही थी। 2011-12 की अवधि के लिए भूमि की लाइसेंसिंग और करार पर तुलन पत्र तथा प्रीमियम की खाता बही की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक गैसों के उत्पादन और संवितरण के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए लाइसेंस देने हेतु मै. बीओसी इंडिया लिमिटेड से अग्रिम के रूप में ` 6.00 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। हमने पाया कि निर्धारिती ने इस प्रकार प्राप्त की गई राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ` 61.80 लाख के सेवा कर भुगतान नहीं हुआ।

हमने मार्च 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)

5.2 कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व हानि

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 में इसमें निर्दिष्ट किए गए निर्धारित समय में सेवा कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 10 फरवरी 1997 के परिपत्र के माध्यम से बोर्ड ने इस मामले पर दोबारा अपने क्षेत्रीय फार्मेशनों को वर्तमान अनुदेश दिए।

गुडगांव कमिश्नरी में मोटर वाहन पार्टों के विनिर्माण में लगे मै. मुंजाल शोवा लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि सेवा कर कमिश्नरी, दिल्ली ने अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 की अवधि के लिए ` 79.17 लाख और मई 2008 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए ` 4.53 करोड़ की सेवा कर मांग को छोड़ दिया था। दिया गया कारण यह था कि मामले काल-बाधित हो गए थे क्योंकि कारण बताओ नोटिस केवल क्रमशः 8 सितम्बर 2009 और 8 अक्टूबर 2010 को जारी किए गए थे। निर्धारित समय में कारण बताओ नोटिस जारी न करने के परिणामस्वरूप ` 5.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया।

विभाग ने सूचना दी (जून 2014) कि संदर्भाधीन मामले पर आयुक्त (एसटी) दिल्ली द्वारा निर्णय दिया गया था, इसलिए कोई दोबारा टिप्पणी नहीं दी जा सकी थी।

हमने देखा कि विभाग का उत्तर विभागीय चूक के लिए दिए गए इस कारण पर मौन है कि कारण बताओ नोटिस को देरी से क्यों जारी किया गया था?

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

5.3 उपकर के भुगतान के प्रति मूल उत्पाद शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट गलत उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के उप-नियम 7(बी) के अनुसार मूलभूत उत्पाद शुल्क के सेनवेट क्रेडिट को शिक्षा उपकर के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

5.3.1 गुड़गांव कमिश्नरी में मै. एच.डी. मोटर कम्पनी इंडिया के ई आर-1 विवरणियों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के भुगतान के प्रति मूल उत्पाद शुल्क पर अदा किए गए ₹ 24.50 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया था।

हमने मार्च 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर निर्धारिती को ₹ 2.56 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

5.3.2 इसी प्रकार, गुड़गांव कमिश्नरी में स्पार्क प्लगस के विनिर्माण में लगे मै. एनजीके स्पार्क प्लगस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की ईआर-1 विवरणियों की संवीक्षा पर हमने पाया कि निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 के वर्षों के दौरान ₹ 43.04 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत रूप से उपयोग किया था जैसाकि पहले दृष्टान्त में बताया गया है।

2014 की रिपोर्ट संख्या 33 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

हमने मार्च 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि ` 63.92 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस निर्धारिती को जारी कर दिया गया है।

5.4 अन्य मामले

उपरोक्त चर्चा किए गए दृष्टान्तों के अलावा हमने 103 मामले भी देखें जिसमें ` 7.12 करोड़ का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/ब्याज का गैर/कम भुगतान शामिल था। मंत्रालय/विभाग ने उन 51 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जहां ` 1.98 करोड़ के राजस्व निहितार्थ को इंगित किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने इन मामलों में से 49 में ` 2.26 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) की वसूली सूचित की।

संजीव गोयल

नई दिल्ली
दिनांक: 26 नवम्बर 2014

(संजीव गोयल)
प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांक: 26 नवम्बर 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

संकेताक्षर

| | |
|------------|--|
| एसीईएस | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचलन |
| एसीएमए | ऑटोमोटिव घटक विनिर्माता संघ |
| सीएजीआर | संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर |
| सीएएस | लागत लेखाकरण मानक |
| सीबीईसी | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड |
| सेनवेट | केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर |
| सेरा | केन्द्रीय उत्पाद प्राप्ति लेखापरीक्षा |
| सीआर-कॉल्स | कोल्ड रोलड कॉल्स |
| सीआर शीट्स | कोल्ड रोलड शीट्स |
| डीजीसीईआई | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना के महानिदेशक |
| डीजीआरआई | राजस्व आसूचना के महानिदेशक |
| डीओ | अर्ध शासकीय |
| इएलटी | उत्पाद शुल्क विधि टाइम |
| ईआर | उत्पाद शुल्क विवरणी |
| एफवाई | वित्तीय वर्ष |
| जीडीपी | सकल घरेलू उत्पाद |
| जीएसटी | माल एवं सेवा कर |
| जीटीए | माल परिवहन एजेंसी |
| आईएआर | आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट |
| एलटीडी | लिमिटेड |
| एलटीयू | बडी करदाता इकाई |
| एनसीसीडी | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क |
| ओईएम | मूल उपस्कर विनिर्माता |
| पेन | स्थायी खाता संख्या |
| पीएलए | व्यक्तिगत बही खाता |
| पीवीटी | निजी |
| आर एण्ड डी | अनुसंधान एवं विकास |
| एसआईएम | भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी |
| एससी | सर्वोच्च न्यायालय |
| एससीएन | कारण बताओ नोटिस |
| एसटी | सेवा कर |
| एसटीआर | सेवा कर रिपोर्टर |
| टीआरयू | कर अनुसंधान इकाई |
| यूएस\$ | अमरीकी डालर |